खण्ड १—अंक ५

२५ मार्च, १९५७, (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
(XV Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

627 LSD

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १--मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४; ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर--

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २--बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३--गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दैनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५—सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . . ६७—८२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ . . . ८२—८३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ . . . ८३—८८
तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९
दैनिक संक्षेपिका . . . ९०

अंक ६—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . . ९१—११५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ११५—१६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . ११६—१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . . ११७—२४
तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४
दैनिक संक्षेपिका . . . १२५—२६

अंक ७—बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८—क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . १२७—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०—क और ११३ . . . १४७—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८—५०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०
दैनिक संक्षेपिका . . . १५१

अंक ८—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . १५२—६८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . १६८—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . . १७१—७३
दैनिक संक्षेपिका . . . १७४
सारांश . . . १७५
अनुक्रमणिका . . . (१—४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

सोमवार, २५ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई-मंगलौर राष्ट्रीय राजपथ

†*५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-मंगलोर के तटवर्ती राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) बम्बई-मंगलौर की तटीय सड़क—जो राष्ट्रीय राजपथ नहीं है—के निर्माण में हुई प्रगति का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस विवरण में दिखाया गया है कि केवल नौ मील सड़क का निर्माण हुआ है । अब तक वस्तुतः कितने मील राजपथ का निर्माण किया गया है ?

†**श्री अलगेशन :** इस विवरण में वही सड़कें दिखाई गयी हैं जिन का निर्माण उन स्थानों पर, जहां बीच-बीच में सड़क नहीं थी, किया गया है । इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि ७० मील सड़क का सुधार किया जा चुका है और २९३ मील सड़क का सुधार किया जा रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस राजपथ को पूरा करने के लिये अभी कितने और मील सड़क का निर्माण करना पड़ेगा ?

†**श्री अलगेशन :** वहां सड़क तो पहले से ही मोजूद है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि २६७ मील सड़क का सुधार, ३७ पुलों/पुलियों का निर्माण किया जाना अभी शेष है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस के निर्माण का प्राक्कलित व्यय कितना होगा ?

†**श्री अलगेशन** : कुल व्यय १०.५४ करोड़ के आस-पास होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : बम्बई-मंगलोर सड़क पर शेरावती नदी ही सब से बड़ी बाधा है। उस नदी पर पुल बनाने के प्राक्कलन तयार किये गये हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और क्या पुल का निर्माण निकट भविष्य में आरम्भ होने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं उस पुल-विशेष सम्बन्धी स्थिति बताने में असमर्थ हूं।

चावल के मूल्य में वृद्धि

†*५९. **श्री त० †ब० विट्ठल राव** :
डा० रामा राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैसूर राज्यों में चावल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) यह कहां तक कारगर हुई है ; और

(ग) क्या सरकार और कोई कार्यवाही करने वाली है ?

† **खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ग). देश में चावल के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(१) देश के भीतर की मंडियों से अनाजों की सरकार द्वारा खरीद बिल्कुल रोक दी गयी है।

(२) अनाज के स्टाक छिपाने से रोकने के लिये अनाज—जिन में चावल और धान भी शामिल है—के स्टाक की एवज़ में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन का विनियमन कर दिया गया है और अग्रिम दी जा सकने वाली राशि में कटौती कर दी गयी है।

(३) सरकारी स्टाक में से निर्धारित मूल्यों पर अनाज का वितरण कराने के लिये बड़ी संख्या में उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गयी हैं।

(४) विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया है।

सरकार मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर कड़ी नज़र रख रही है और जब भी आवश्यक होगा, और आगे उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(ख) अब तक जो भी कार्यवाही की गयी है वह काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और उस से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अनाज मिलने की गारंटी हो गयी है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जो कार्यवाही की गयी है उस के होते हुए भी दक्षिण के अनेक ज़िलों में मूल्यों में ५० प्रतिशत वृद्धि देखने में आई है। इस वृद्धि को रोकने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सरकार द्वारा फुर्ती से की गयी कार्यवाही, अर्थात् उचित मूल्य वाली लगभग १९,००० दुकानों की स्थापना, के फलस्वरूप मूल्यों में कोई अनुचित वृद्धि नहीं हुई है। हम शहरों की अधिकांश जनता की आवश्यकतायें इन उचित मूल्य वाली दुकानों से ही पूरी कर दे रहे हैं जिस के फलस्वरूप खुले बाजार में मूल्य कम हो गये हैं। खुला बाजार तो केवल धनी व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में।

के ही लिये है । गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय जनता की आवश्यकतायें हम उचित मूल्य वाली दुकानों से १६ रुपये प्रति मन के अत्यन्त उचित मूल्य पर पूरी कर दे रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : ये उचित मूल्य वाली दुकानें किस आधार पर खोली जा रही हैं ? क्या इस के लिये नगरों की जनसंख्या को भी आधार माना जाता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जहां कहीं भी कीमतें चढ़ी हैं, हम ने वहीं उचित मूल्य वाली दुकानें खोल दी है । मुख्यतया ये औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे बड़े-बड़े शहरों, में खोली गयी हैं ।

†**श्री राघवाचारी** : अच्छा मौनसून होते हुए भी मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मूल्यों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है । यदि देश में साधारण परिस्थितियां रही होतीं, तो जैसी हमें आशा थी, मूल्य कम हो गये होते । वास्तव में गत दिसम्बर में, मूल्य कम होने शुरू हो गये थे और हमें यह भय होने लगा था कि मूल्यों में कहीं तेजी से गिरावट न आने लगे और इसीलिये कीमतों को ऊंचा बनाये रखने के लिये हम ने खुले बाजार में अनाज खरीदना शुरू कर दिया । फिर, भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के कारण साधारण स्थिति अस्त-व्यस्त हो गयी और समाचार-पत्रों में युद्ध आदि की चर्चा होने लगी । इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव वहां पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस समय सरकार के पास चावल का कितना स्टाक है और जनवरी १९५७ से मार्च, १९५७ तक की अवधि में उस में से कितना वितरण के लिये दिया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : *हम एक लाख टन प्रति मास की दर से दे रहे हैं । इस समय हमारे पास २ लाख टन चावल है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : उचित मूल्य वाली दुकानें छोटे नगरों में, जहां अनाज की बड़ी कमी है, क्यों नहीं खोली गयी हैं ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : आंध्र प्रदेश में उचित मूल्य वाली तीन सौ से अधिक दुकानें खोली हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मेरा तात्पर्य यह था कि रामचन्द्रपुर, अमलपुर, रसूल आदि छोटे-छोटे नगरों में उचित मूल्य वाली दुकानें नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन नगरों में उचित मूल्य वाली दुकानें क्यों नहीं खोली गयी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह हम राज्य सरकारों पर छोड़ देते हैं । जब भी वह यह महसूस करती हैं कि भाव चढ़ रहे हैं, वे तत्काल उचित मूल्य वाली दुकानें खोलना आरम्भ कर देती हैं और हम से चावल का ज्यादा कोटा मांगती हैं और हम उन्हें दे देते हैं । यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं आंध्र प्रदेश सरकार से इन स्थानों पर ऐसी दुकानें खोलने के लिये कहने को तैयार हूं ।

†**श्री वोडयार** : चावल का मूल्य निश्चित करते समय क्या अन्य अनाजों और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वास्तव में, केवल अनाजों का भाव ही नहीं बढ़ा है वरन् औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी है जैसाकि देशनांक में हुई वृद्धि से स्पष्ट है । इसलिये अनाजों का मूल्य

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*इस उत्तर में खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) द्वारा बाद में शुद्धि की गयी । देखिये इस वाद-विवाद का पृष्ठ संख्या ८९ ।

निश्चित करते समय उन अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी हमारे ध्यान में रहते हैं जिन की किसानों को आवश्यकता होती है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या छोटा नागपुर में भी, जहां रबी की फ़सल असफल रही है, उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मेरा ख्याल है कि छोटा नागपुर में उचित मूल्य वाली कई दुकानें होनी चाहियें । और यदि वहां न हों और वहां की स्थिति ऐसी हो कि ऐसी दुकानों का खोला जाना अत्यावश्यक हो तो हम उन्हें खोलने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन दुकानों के खोले जाने सम्बन्धी नीति केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है अथवा यह काम राज्य सरकारों पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है । इस विषय में केन्द्रीय सरकार के क्या निदेश हैं ? यहां स्पष्टरूप में यह बताया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रकार की कार्यवाही में केन्द्रीय और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं । राज्य सरकारों को अनाज हम देते हैं ; उचित मूल्य वाली इन दुकानों को खोलने में हम उन के विचारों का ध्यान रखते हैं । और हमीं उन के द्वारा सुझाई गयी जगहों पर ये दुकानें खोलते हैं ।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि गवर्मेंट के सामने फिर से राशनिंग जारी करने के बारे में कोई तजवीज़ पेश है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह जो कार्यवाही की गयी है वह क्या अन्य राज्यों पर भी लागू होती है या सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होती है जिन का प्रश्न में उल्लेख किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होती है । यदि भाव चढ़ते हैं तो समस्त भारत में चढ़ते हैं और यदि घटते हैं तो भी सारे भारत में ही घटते हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : पिछले पांच या छः महीनों में उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गयी हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में चावल तथा अन्य वस्तुएं वितरण के लिये दी गयी हैं । क्या इस नीति का वांछित प्रभाव यह रहा कि मूल्य चढ़े नहीं अथवा यह प्रभाव हुआ कि मूल्य घटे? यदि नहीं, तो क्या सरकार का सम्पूर्ण नीति पर फिर से विचार करने का इरादा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : निश्चय ही उन का वांछित प्रभाव हुआ है । देश भर में उचित मूल्य वाली १९,००० दुकानें खोलने के फलस्वरूप हम निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग की मांग पूरी करने में सफल हुए हैं । उन की जो भी आवश्यकतायें थीं, हम ने उन्हें पूरा किया है । यदि उचित मूल्य वाली ये दुकानें न खोली जातीं तो खुले बाजार में मूल्य और भी चढ़ गये होते और कम न हुए होते ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि उचित मूल्य वाली इन दुकानों के ज़रिये बेचा गया अनाज लोग फिर से व्यापारियों को बेच देते हैं और व्यापारी इस अनाज को छिपा रहे हैं ? क्या इस का भविष्य में खाद्य स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: यह अत्यन्त ही दुर्भाग्य की बात है कि जो निर्धन लोग उचित मूल्य वाली दुकानों से अनाज लेते हैं वह उसे फिर से व्यापारियों को बेच देते हैं ; यदि वे ऐसा करते हैं तो हम केवल उन पर तरस खा सकते हैं, क्योंकि वह चावल तो उन के अपने उपयोग के लिये होता है । यदि वे उसे फिर से बेच देते हैं तो इस का अर्थ यह है कि इस से उन्हें कुछ लाभ होता है । यह ठीक है कि उन्हें लाभ होता है, परन्तु हमें उन से यह अपील करनी है कि उन्हें इसे इस प्रकार फिर से बेचना नहीं चाहिये ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के कारणों की जांच की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनेक कारण हैं । यह मूल्य केवल भारत में ही नहीं बढ़े हैं । पाकिस्तान में भारत की तुलना में दूने मूल्य हैं । यदि भारत में १८ रुपये मन का भाव है, तो पाकिस्तान में ३५ रुपये से ४० रुपये मन तक का भाव है । चीन में यद्यपि मजूरी का स्तर भारत के ही समान है, परन्तु वहां भी चावल का मूल्य भारत की अपेक्षा अधिक है ; जबकि चीन में चावल का भाव १४ आने सेर है, भारत में इस के लिये सिर्फ ९ आने ही देने पड़ते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक नगरों में उचित मूल्य वाली दुकानें या तो खोल दी गयी हैं या खोली जा रही हैं । क्या मंत्री महोदय को पता है कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगर को छोड़ कर आंध्र प्रदेश के किसी भी बड़े औद्योगिक केन्द्र में उचित मूल्य वाली एक भी दुकान नहीं खोली गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे लिये "औद्योगिक नगरों" का तात्पर्य बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद और इसी प्रकार के बड़े बड़े नगरों से होता है । यदि आंध्र प्रदेश में भी ऐसे औद्योगिक नगर हों और आंध्र सरकार ने उन में उचित मूल्य वाली दुकानें न खोली हों तो हम उन्हें लिखेंगे और ऐसी दुकानें खुलवायेंगे ।

नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य

†*९०. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पोत प्राप्त करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिय अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि परिवहन मंत्रालय ने वह समस्त राशि, जिस का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध किया गया था, ले ली है और लक्ष्य प्राप्ति के हेतु अतिरिक्त पोत प्राप्त करने के लिये उन्हें तत्काल ही और भी धन की आवश्यकता है ; और

(ग) इस गति से पुनर्निर्माण नीति समिति[1] द्वारा १० वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये २० लाख टन नौवहन के लक्ष्य तक पहुंचने में सरकार को कितना समय लगने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अर्थोपायों सम्बन्धी वर्तमान कठिन स्थिति के कारण सरकार के लिये यह संभव नहीं हुआ है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना रा भारतीय नौवहन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक अतिरिक्त धन का उपबन्ध कर सके । परन्तु एक वर्ष के उपरान्त, उस समय की स्थिति के अनुसार, इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Reconstruction Policy Committee.

(ख) जी हां ; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितनी राशि का उपबन्ध किया गया था उस के बराबर के मूल्य के वादे किये जा चुके हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में इस समय कुछ बताना सम्भव नहीं है ।

†**श्री मात्तन :** उपमंत्री महोदय ने कहा है कि पोतों की खरीद के लिये अलग दी गयी पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है । अलग की गयी राशि कितनी थी और उस से कुल कितने टन वाले पोत हम प्राप्त कर सकेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : पोतों की खरीद के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३७ करोड़ रुपया रखा गया था और ६ करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में से बचा था । यह ४५ करोड़ रुपय होते हैं । आशा थी कि इस से कुल मिला कर ३ लाख टन भार वाले पोत हम प्राप्त कर सकेंगे । अब मूल्य बढ़ जाने के कारण पूरी राशि व्यय करने पर भी हम संभवतया इतने टन भार वाले पोत प्राप्त नहीं कर सकेंगे । इस में कमी हो जायेगी ।

†**श्री मात्तन** : मैं इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि हम कुल कितने टन-भार वाले पोत प्राप्त कर सकेंगे, मैं अस्पष्ट उत्तर नहीं चाहता । दूसरे शब्दों में, यह कमी कितनी होगी ?

†**श्री अलगेशन** : इस राशि से हम केवल (लगभग) १,८०,००० टन-भार वाले पोत प्राप्त कर सकेंगे । इस का अर्थ यह हुआ कि १,२०,००० टन की कमी होगी ।

†**श्री कामत** : रद्दी किये जाने वाले पोतों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? यदि मैं यह कहूं कि रद्दी किये जाने वाले ९०,००० टन-भार वाले पोतों को मिला कर यह कमी लगभग २,२०,००० टन हो जायेगी तो क्या ठीक होगा ?

†**श्री अलगेशन** : यदि रद्दी किये जाने वाले पोतों का भी हिसाब लगाया जाये तो और भी अधिक कमी होने की संभावना है ; परन्तु मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: यह संभवतः २ लाख टन होगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा**: पिछले आयव्ययक पर हुए वाद-विवाद के दौरान में अन्तर्देशीय परिवहन और विमान परिवहन के लिये विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री को संबोधित मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था––यदि मैं ग़लत कह रहा हूं तो मेरी ग़लती को ठीक कर दिया जाये––कि धन उपलब्ध होगा । क्या परिवहन मंत्रालय ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिस में विश्व-बैंक से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग किया जा सके ?

†**श्री अलगेशन** : वस्तु स्थिति यह है कि जैसा कि मैं ने उत्तर में ही कहा था अर्थोपायों संबंधी कठिन स्थिति के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ सके हैं । एक वर्ष बाद इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जायेगा ।

†**श्री अ० म० थामस** : भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि कोई तिथि निश्चित करना संभव नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह अत्यन्त ही साधारण सा लक्ष्य १० वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार सभा को यह क्यों नहीं बता सकती है कि वह इस लक्ष्य को कब प्राप्त कर सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न पर सभा में अनेक बार वाद-विवाद हो चुका है और कठिनाइयां बताई जा चुकी हैं । इस समय कठिनाई विदेशी मुद्राओं और वित्त के सम्बन्ध में है ।

†**श्री मात्तन** : १९४७ में जिस समय २२ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, हम विदेशों से होने वाले व्यापार के ५० प्रतिशत भाग को और समस्त तटीय-व्यापार को अपने पोतों द्वारा कराने की बात सोच रहे थे । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में हुए आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भी क्या सरकार यह समझती है कि इतने टन-भार वाले पोत विदेशों से किये जाने वाले व्यापार के ५० प्रतिशत भाग और समस्त तटीय व्यापार को चलाने के लिये पर्याप्त होंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : ये पर्याप्त तो नहीं होंगे, परन्तु जैसाकि उपमंत्री महोदय बता ही चुके हैं, इस समय कठिनाई विदेशी मुद्राओं और साधनों तथा तरीकों के सम्बन्ध में है । स्थिति में सुधार होते ही हम शीघ्रता करने और अधिक टन-भार वाले पोत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ।

तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना

†*६२. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ नवम्बर, १९५६ को अरियालुर में हुई तूतीकोरिन एक्सप्रेस की दुर्घटना सम्बन्धी न्यायिक जांच के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या एक्सप्रेस गाड़ी के जनाना डिब्बे को मलबे से निकालने का प्रयत्न किये बिना जला देने के बारे में कोई जांच की गई अथवा की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) दुर्घटना का जो कारण बताया गया है सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है । प्रतिवेदन में दिये गये विभिन्न मामलों और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के बारे में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) और (ग) . पूर्ण जांच की गई है । यह आरोप निराधार है ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, परीक्षण हो जाने के बाद क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : प्रतिवेदन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है ।

†**श्री कामत** : क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

† **जगजीवन राम** : मैं यह आवश्यक नहीं समझता ; यह सभा के पुस्तकालय में रखा है ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि आरोप निराधार है । परन्तु कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरह जांच हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ; कभी वह कहते हैं कि यह निराधार है और कभी कहते हैं कि इस की पूरी जांच की जायेगी ।

†**श्री जगजीवन राम** : दोनों में कोई अन्तर नहीं है । उस दिन भी मैं ने कहा था कि शवों को डिब्बे में जलाने का आरोप निराधार है । और यह बात मैं अब भी कहता हूं । परन्तु रेलवे प्रशासन पर कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आरोप लगाये गये हैं और इस बारे में जांच हो रही है कि क्या कार्यवाही की जाये । इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री महोदय को विदित है—क्योंकि गत सत्र के अन्तिम दिनों में वह दिल्ली से बाहर चले गये थे—कि त्रिचुरापल्ली जिला बोर्ड के सदस्य श्री आर० गोविन्दन ने उस पुस्तिका के प्रकाशन के पश्चात् कुछ आरोप लगाये थे, जिस के बारे में उन्हों ने मुझे एक तार और पत्र तथा अन्य कागज भेजे थे और आप की अनुमति से मैं ने उन्हें सभापटल पर रखा था ? क्या उन्हें यह भी विदित है कि श्री गोविन्दन जांच न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना चाहते थे परन्तु उन्हें इस की अनुमति नहीं दी गई ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं ने उस समय भी बताया था कि मैं ने वह पुस्तिका जांच समिति के पास भिजवा दी थी परन्तु यह विषय जांच समिति के निर्देश मदों से बाहर था । उन आरोपों पर आगे और क्या कार्यवाही की जाये इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कामत** : पिछली बार जब मैं ने पुस्तिका का उल्लेख किया तो आप ने कहा था कि जनाना डिब्बे को जलाना एक गम्भीर विषय है, इस के पश्चात् माननीय मंत्री ने भी आप से सहमति प्रकट की । उन्हों ने इस की जांच करने का भी वचन दिया । अब बिना कोई जांच किये मंत्री महोदय इसे निराधार बता रहे हैं । क्या कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो वह किस ने की थी ? क्या उसी जांच न्यायालय ने जांच की थी या कि अलग विभागीय जांच की गई थी ? किस ढंग से जांच की गई थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : आगे और जांच करने की आवश्यकता है या नहीं अथवा इन आरोपों के बारे में सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये, इस बात पर विचार किया जा रहा है और उचित कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : न्यायिक जांच की उपपत्तियां सरकार को दो मास पूर्व भेजी गई थीं ; जांच की सिफारिशों का परीक्षण करने और उन पर शीघ्र कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों हुआ ?

†**श्री जगजीवन राम** : विलम्ब कोई नहीं है । इस का परीक्षण हो रहा है और यथासम्भव शीघ्र उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी । वस्तुतः कुछ कार्यवाही की जा चुकी है ।

टाटानगर-गुआ लाइन पर गाड़ियों में भीड़

†*६३. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हर मंगलवार को चैबासा में साप्ताहिक हाट के दिन टाटानगर-गुआ ब्रांच लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों की बड़ी भीड़ रहती है और पायदान भी यात्रियों से भरे हुए होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पायदान पर खड़े हो कर सफर करने की मनाही करने के लिये क्यों कार्यवाही नहीं की जाती ; और

(ग) क्या सरकार का डिब्बे बढ़ाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चैबासा में हाट के दिन, अर्थात् मंगलवार को, इस ब्रांच लाइन पर कुछ भीड़ हो जाती है और कुछ यात्री पायदान पर खड़े हो कर सफर करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २].**

(ग) हाट के दिनों को ४१३/४१४ नम्बर की गाड़ियों में जहां तक सम्भव है अधिकतम डिब्बे लगाये जाते हैं ।

श्री देवगम : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि स्टेटमेंट में जो चार प्रकार के उपाय हमें मिले हैं, उन चारों प्रकार के उपाय करने पर भी रेलवे विभाग अत्यधिक भीड़ और फुटबोर्ड पर यात्रा करना बन्दर करने में सफल हो सका है ?

श्री अलगेशन : सफल होने की आशा है ।

श्री देवगम : लेकिन क्या मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि अभी तक रेलवे विभाग सफल नहीं हो सका है ?

अध्यक्ष महोदय : सफल होने की आशा है ।

श्री देवगम : क्या मैं जान सकता हूं कि किस तारीख से यह दो एडीशनल थर्ड क्लास बोगीज़ इस टाटानगर-गुआ ब्रांच लाइन में जोड़ी गई हैं ?

श्री अलगेशन : कुछ समय के लिये दो बोगियां और लगाई जा रही हैं । तारीख मालूम नहीं है ।

श्री देवगम : मालूम होता है कि यह दो थर्ड क्लास बोगीज़ मेरे चिट्ठी लिखने पर जोड़ी गई हैं, क्या यह बात सच है ?

श्री अलगेशन : हो सकता है ।

चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाइन

†*६४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का निर्माण कब आरम्भ होगा ; और

(ग) क्या यह बड़ी लाइन होगी या मीटर लाइन ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या यह सच है कि स्वतंत्रता मिलने से बहुत समय पहले यह लाइन स्वीकृत की जा चुकी थी परन्तु इस के निर्माण के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : आशा है कि इंजीनियरिंग और परिवहन सर्वेक्षण प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उन पर विचार और निश्चय किया जायेगा ।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या रेलवे बोर्ड उसे स्वीकृत कर चुका है ?

†**श्री अलगेशन** : यह स्वीकृत किया जा चुका है और इंजीनियरिंग तथा परिवहन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । हमें शीघ्र ही प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आरोग्य केन्द्र

***६५. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में आरोग्य केन्द्र स्थापित करने के लिये व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ में कितने केन्द्र स्थापित किये गये ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन की संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रबन्ध किये गये हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३**]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** विवरण से ऐसा पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और आसाम में कोई केन्द्र नहीं खोले गये हैं। इसका क्या कारण है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस प्रश्न का उत्तर राज्य विधान मंडलों में ही दिया जा सकता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वास्थ्य केन्द्रों को कोई सहायक अनुदान दिये जायेंगे; यदि हां, तो कितना?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले केन्द्रों के लिये राज्य योजनाओं में १९.३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु हम उन सब केन्द्रों को सहायक अनुदान देंगे जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में हम लगभग ११०० केन्द्र खोलना चाहते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : इन स्वास्थ्य केन्द्रों का सामान्य प्रभारी कौन होगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : राज्य सरकारें।

गुडूर-रेनीगुन्ता रेलवे लाइन

†***६६. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब गुडूर और रेनीगुन्ता के बीच बड़ी लाइन परिवहन के लिये खोल दी जायेगी तो क्या गुडूर से मद्रास की ओर अधिक माल भेजा जाने लगेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जब गुडूर रेनीगुन्ता बड़ी लाइन खुल जायगी तो अर्कोनाम और उससे आगे भेजा जाने वाला माल, जो उत्तर से प्राप्त होता है, इस मार्ग से भेजा जाने लगेगा और उस हद तक गुडूर और मद्रास के बीच माल का यातायात कम हो जायेगा। इस प्रकार इस लाइन से जिसे बड़ी लाइन में बदला गया है गुडूर-मद्रास सैक्शन को कुछ आराम मिलेगा। और उत्तर और दक्षिण के बीच अधिक माल आ जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या यह ठीक है कि इस दोहरी लाइन से बेजवाड़ा और गुडूर के बीच की भीड़ तब तक कम नहीं होगी जब तक सारा मार्ग दोहरा न बना दिया जाये ?

†**श्री अलगेशन** : दोहरी लाइन बनाने का काम चल रहा है। कुछ सैक्शनों पर तो यह हो चुका है। दूसरे सैक्शनों में दोहरी लाइन बनाने का काम भी चल रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : बेजवाड़ा और गुडूर के बीच केवल २५ मील दोहरी लाइन बनाई गई है। शेष १५० मील में कब तक दोहरी लाइन बनेगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने बताया कि कार्य हो रहा है। यह जल्दी नहीं हो सकता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : २५ मील दोहरी लाइन बनाने में एक वर्ष लग गया तो क्या १५० मील के लिये ६ वर्ष चाहियें ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से इतना समय नहीं लगेगा। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि दोहरी लाइन बनाने का काम परिवहन को जारी रखते हुए किया जाता है। हम कोई गाड़ी रोक नहीं सकते। यह काम इस समय बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है परन्तु और कोई चारा नहीं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : गुडूर-रेनीगुन्ता बड़ी लाइन कब चालू की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : आशा है कि यह इस वर्ष जून अथवा जुलाई तक चालू हो जायेगी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस बड़ी लाइन को रेनीगुन्ता से तिरुपति तक ले जाने के सुझाव का क्या हुआ ?

†**श्री अलगेशन** : उस पर अलग विचार किया गया। उस पर इस परियोजना के साथ विचार नहीं किया गया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस परियोजना का उद्देश्य गुडूर और मद्रास के बीच यातायात कम करना और अर्कोनाम तक और उससे आगे यातायात की सुविधा देना है। उस प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु लागत और अन्य कारणों से वह आरम्भ नहीं किया गया।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि गुडूर से बेजवाडा की लाइन कब तक दोहरी बन जायेगी ताकि गुडूर से रेनीगुन्ता की लाइन सफलतापूर्वक चल सके ?

†**श्री अलगेशन** : श्री विट्ठल राव ने भी यही प्रश्न पूछा था। मैं समय तो नहीं बता सकता। यह शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा ; सम्भव है कि २ वर्ष लग जायें।

सूरतगढ़ में मेकनाइज्ड फार्म

*६७. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ मेकनाइज्ड फार्म में अब तक कुल कितने एकड़ भूमि पर खेती की जा चुकी है ;

(ख) अब तक फार्म से कुल कितना उत्पादन प्राप्त हो गया है ;

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) वहां पर कितने पदाधिकारी तथा मजदूर काम पर लगाये गये हैं और

(ङ) वहां पर राजस्थान के कितने पदाधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ङ). लोक-सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : यह देखते हुए कि देश भर में एक यही आधुनिक मैकानाइज्ड फार्म है, किन किन राज्यों से पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भर्त्ती किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वे अधिकतर भोपाल फार्म और केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन और शेष २० राजस्थान से आये हैं।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या यह सही है कि जो भूमि रूसी फार्म को सरकार द्वारा दी गई थी, उसमें से आधी भूमि को काम में लाया गया है और आधी वहां के किसानों को स्थायी रूप से काश्त करने के लिये दे दी गई है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस साल में ४ हज़ार एकड़ जमीन में काश्त की है और फसल उपजाई है।

सेतुसमुद्रम परियोजना

†*६८. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेतुसमुद्रम परियोजना समिति के प्रतिवेदन पर आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने योजना में रूपभेद करने अथवा उसके बिना स्वीकार कर लिया है ;

(घ) क्या इस परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग मान कर कार्यान्वित करने की कोई सम्भावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह देखते हुए कि भारतीय तटीय नौपरिवहन को इससे बड़ा लाभ हो सकता है, इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत सरकार को अब बताया गया है कि सेतुसमुद्रम परियोजना समिति द्वारा अनुमित ९.९८ करोड़ रुपये की बजाय इस पर १५ से २० करोड़ रुपये तक लागत आयेगी। लागत के बढ़ जाने और पूंजी व्यय पर होने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए परियोजना के पूंजी व्यय और पूर्वानुमानित यातायात सकल राजस्व और कुल वित्तीय विवरणी का ठीक ठीक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि यह योजना द्वितीय योजना काल में कार्यान्वित की जा सकती है।

†**श्री मात्तन** : इस प्रश्न पर मंत्रालय आदेश कब तक जारी करने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैं कह चुका हूं जिस समिति ने इसकी जांच की थी, उसने व्यय १० करोड़ रुपयों से कुछ ही कम आंका था । परन्तु विभिन्न अन्तर्विभागीय बैठकों में इस प्रश्न पर विचार किया गया और अब यह अनुमान है कि इस पर उससे काफी अधिक व्यय होगा । इस लिये परिवहन मंत्रालय के विकास सम्बन्धी परामर्शदाता द्वारा नये सिरे से हिसाब लगाया जा रहा है । जैसे ही वे व्यय और परियोजना की वित्तीय विवरणी दे देंगे, वैसे ही उसके सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री मात्तन** : मैं केवल यही जानना चाहता था कि सरकार कब तक आदेश जारी कर देगी या कि उसके लिये अनुमानतः उन्हें कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैं केवल यही बता सकता हूं कि इसमें कुछ और समय लगेगा ।

†**श्री मात्तन** : इस परियोजना के पूरे हो जाने पर प्रत्येक बार के आने जाने के संचालन व्यय में कितनी बचत होगी ?

†**श्री अलगेशन** : दूरी में लगभग ३०० मील की बचत हो जायेगी । यह हिसाब समिति द्वारा लगाया गया है और मैं निश्चित आंकड़े नहीं बता सकता, परन्तु यह सन्देह किया जाता है कि उसके पूरे होने के बाद भी महासागर में जाने वाले पोत इस छोटे रास्ते का प्रयोग नहीं करेंगे, परन्तु तटवर्ती व्यापार के लिये यह उपयोगी सिद्ध होगा ।

†**श्री मात्तन** : मैं बचत रुपये-आने-पाई में जानना चाहता हूं—मीलों में नहीं ।

†**श्री अलगेशन** : प्रतिवेदन में कुछ हिसाब लगाया गया है, परन्तु प्रतिवेदन इस समय मेरे पास नहीं है —माननीय सदस्य उसमें देख सकते हैं ।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ६९, श्री कामत ।

†**श्री कामत** : इस प्रश्न का उत्तर मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के साथ दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । इस समय केवल प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर दिया जाये ।

†***६९. श्री कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा १९५७–५८ में वसूल की जाने वाली ट्रेक्टर चलाने की प्रस्तावित दरें क्या हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन की वर्तमान दरें निम्न हैं :—

(१) मध्य प्रदेश में जंगल साफ करना . .	५० रुपये प्रति घंटा और अधिकतम ५०० रुपये प्रति एकड़ ।
(२) आसाम में जंगल साफ करना	४५ रुपये प्रति घंटा और अधिकतम ३१५ रुपये प्रति एकड़ ।
(३) बिहार में भूमि विकास कार्य . .	५० रुपये प्रति घंटा ।
(४) मध्य प्रदेश में कांस की सफाई . .	३५ रुपये प्रति एकड़ जुताई के लिये । ३५ रुपये प्रति घंटा सफाई के लिये जो जुताई के पहले किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का कार्यक्रम और १९५७–५८ के लिये दरें अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गई हैं किन्तु मध्य प्रदेश में जंगल की सफाई सम्बन्धी कार्य के लिये वर्तमान दरें जारी रहेंगी ।

†**श्री कामत**: क्या सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव है कि ये घटाई हुई दरें भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् १९५३ और १९५४ में लागू होंगी जब ६५ रुपये तक की ऊंची दरें वसूल की गई थीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और राज्य सरकार द्वारा देय अधिकांश रकमें हमने वसूल कर ली हैं ।

†**श्री कामत**: क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम की किसान सभाओं तथा अन्य कृषक संस्थाओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वे पिछले वर्षों की बहुत ऊंची दरें चुकाने में असमर्थ हैं अतः घटी हुई दरें ही भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जायें ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह सच है कि राज्य सरकारों के समक्ष अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं और राज्य सरकारों ने हमसे भी यह कहा है परन्तु माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि यदि अब लागत ६० रुपये प्रति एकड़ है हम केवल ३५ रुपये ही वसूल कर २५ रुपये प्रति एकड़ राजकीय सहायता दे रहे हैं । राज्य सरकार से हम केवल ३५ रुपये वसूल कर रहे हैं और २० रुपये से २५ रुपये प्रति एकड़ की राजकीय सहायता दे रहे हैं ।

†**श्री कामत** : भिन्न भिन्न राज्यों में विभिन्न दरों के क्या कारण हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: यह इस बात पर निर्भर है कि मिट्टी कैसी है, कार्य का स्वरूप कैसा है और जिस जंगल को साफ किया जायेगा वह कैसा है । उदाहरणार्थ, यदि पेड़ बड़े हुए तो हमारी दर अधिक होती है और छोटे पेड़ों के लिये कम ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी**: केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सेवाओं का गैर सरकारी कार्यों में उपयोग करने के लिये जो दर है क्या वह 'न लाभ न हानि' के आधार पर है अथवा लाभ पर आधारित है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: यह गैर सरकारी पार्टियों के लिये नहीं है । यह कार्य राज्य सरकारों के लिये किया जाता है और हम भूमि को कृषि के योग्य बनाने के कार्य में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

†**श्री कामत** : क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने और विशेष रूप से मध्य प्रदेश ने भारत सरकार को इस प्रकार का संकेत या अभ्यावेदन दिया है कि इस दिशा में वसूली के मामले में काफी रकम इस लिये बाकी है कि किसान इतनी ऊंची दर नहीं चुका सके हैं ?

†**श्री मो०वें० कृष्णप्पा** : इसीलिये भारत सरकार ने यह बकाया राशि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत रख दी है और सुगम किश्तों के रूप में उसे वसूल कर रही है ।

तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना

†*७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अरियालुर की मद्रास तूतीकोरिन एक्सप्रेस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को पूर्ण रूप से प्रतिकर दे दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी नहीं श्रीमान् । इस मामले में नियुक्त विशेष दावा आयुक्त ने प्राप्त हुए २५८ दावों में से १३५ का निबटारा कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे यात्री सुविधाएं

†*७१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय श्रेणी के रेल यात्रियों की सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने अब अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिशें हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जिन तीन अधिकारियों के सुपुर्द यह काम किया गया है क्या वे अधिकारी इस काम को अपने सामान्य कार्य के अलावा करते हैं अथवा उन्हें अपने सामान्य कार्य से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : रिपोर्ट प्रस्तुत करने में यह भी एक कारण था ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने भवन निर्माण को "यात्री सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत देने की प्रथा समाप्त कर दी है ? यह प्रथा परित्यक्त कर दी गई है अथवा नहीं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं समझता कि वर्तमान प्रश्न से इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है ?

†**श्री कामत** : भवन निर्माण पर व्यय दुर्भाग्य से "यात्री सुविधाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राक्कलन में बताया गया है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी हमें समिति की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करनी है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या क्षेत्रीय प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति से कुछ सुझाव आमंत्रित किये गये हैं और यदि ऐसा किया गया है तो इस रिपोर्ट के बारे में उनके क्या सुझाव हैं ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । क्या वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस समिति ने क्षेत्रीय प्रयोक्ता समिति से सुझाव मांगे थे ?

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : जी हां ।

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं समझता कि समिति ने इस विषय में सुझाव आमंत्रित किये थे । समिति के निर्देश पद के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के डिब्बों में पानी की कोठी की धारिता बढ़ाने और स्वयंचालित पानी के नल लगा कर यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न भी शामिल हैं। एक निर्देश पद वर्तमान डिज़ाइन में परिवर्तन की संभावना पर विचार कर धोने के बेसिन, पानी के नल और पानी एकत्रित करने की कोठी आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित है । अतः समिति से विशिष्ट सुझाव आमंत्रित नहीं किये गये हैं । अधिकारी स्वयं जाकर इनकी सम्भावना देखेंगे और फिर सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना

†*७२. **श्री कामत**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना (जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश) की क्रियान्विति कब आरम्भ होगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णीत क्रमबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) सड़कों और भवनों के खाके का सवक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्री कामत** : यह कार्य कब आरम्भ किया गया था ?

†**श्री हाथी**: लगभग आठ महीने पूर्व ।

†**श्री कामत**: क्या यह सच है कि सरकार का यह प्रस्ताव था कि तावा परियोजना की नींव २६ जनवरी, १९५७ को स्वयं राष्ट्रपति द्वारा रखी जाती और बाद में यह विचार परित्यक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : परियोजना सर्वेक्षण की जांच के पश्चात् कुछ टेकनीकल बातें उत्पन्न हुई जो राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दी गई। सम्भव है कि हम जलाशय की क्षमता बढ़ा कर विद्युत् की मात्रा में भी वृद्धि कर दें। राज्य सरकार इन बातों पर विचार कर रही है ।

अतारांकित प्रश्नों का तारांकित प्रश्नों में परिवर्तन

†**श्री कामत** : श्रीमान्, मैंने शनिवार को प्रार्थना की थी कि दो अतारांकित प्रश्न, उनमें भी विशेष रूप से दिल्ली में पीने के पानी के संभरण से सम्बन्धित एक प्रश्न का, जनहित की दृष्टि से मौखिक उत्तर दिया जाये । मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आप स्वविवेक का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न के उत्तर की अनुमति देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मुझे नहीं मिली है ।

†**श्री कामत** : मैंने विशेष रूप से इस पर "आवश्यक" लिख कर भेजा है । यह कैसे हो सकता है कि वह आपके पास नहीं पहुंची ? यह आज सवेरे भेजी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब यह मुझे मिलेगी तो मैं इस पर विचार करूंगा । मैं उसे मंगाऊंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

†*५७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के परामर्शदाता और उद्योग विभाग के प्रमुख ने हाल ही में प्रसारित अपने भाषण में योजना में "मन्द गति करने अथवा लड़खड़ाने" की जो बात कही थी क्या वह सरकारी दृष्टिकोण का परिचायक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: उद्योग विभाग के प्रमुख का भाषण उनके निजी विचार का द्योतक है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धि सरीखे कारणों के परिणामस्वरूप योजना के विशिष्ट पहलुओं की वरीयता का पुनर्निर्धारण और योजना में सन्निहित विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय पुनः निश्चित करना आवश्यक हो सकता है। इन विषयों पर अखिल विचार किया जाता है। किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि योजना की गति मन्द करने का सरकार और योजना आयोग का कोई विचार है।

रेलवे कर्मचारियों के लिये "नई योजना"

†*६१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों के लिये घोषित नये वेतनक्रम की पिछले वेतन क्रम की तुलना में क्या स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार को स्टेशन मास्टरों से उनको दी गई नवीन रियायतों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ख) और (ग). सरकार को इन कर्मचारियों से रेलवे प्रशासन अथवा भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन (एन० एफ० आई० आर०) के जरिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। समुचित पद्धति के अतिरिक्त अन्य ढंग से स्टेशन मास्टरों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि वेतन वृद्धि पर्याप्त नहीं है तथा इससे उन्हें निकट भविष्य में कोई वित्तीय लाभ नहीं होता है।

(घ) सरकार का कुछ और रियायतें देने का विचार नहीं है।

राजस्थान पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, बीकानेर

†१८. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के आदेशानुसार राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, बीकानेर, में १ अक्टूबर, १९५५ से, प्रारम्भ में द्विवर्षीय आपात पशु चिकित्सा डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया गया था और एक वर्ष व्यतीत होने पर अब यह कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स में परिणित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कोर्स में भरती होने वाले विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि अब वे जी० वी० वी० सी० और आई० डी० डी० डिप्लोमा धारियों के समकक्ष नहीं समझे जायेंगे जबकि तीनों कोर्स के पाठ्यक्रम पूर्णतः समान हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन विद्यार्थियों ने मैट्रिक पास करने के पश्चात् उक्त द्विवर्षीय आपात कोर्स ग्रहण किया था अब उन्हें 'बी० बी० एस० सी० एण्ड ए० एच० कोर्स' के संक्षिप्त कोर्स से वंचित कर दिया गया है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि मैट्रिक एल० एम० पी० एम० बी० बी० एम० संक्षिप्त कोर्स ग्रहण कर सकते हैं, उपरोक्त अनर्हता को दूर कराने का प्रयत्न करेगी ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

रेलवे कंडक्टर-गार्डों के लिये वर्दियां

†**१९. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५६ को मध्य रेलवे के कंडक्टर-गार्डों की वर्दियों के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्दियां दे दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट जांच समाप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९५६ के लिये सर्दियों की वर्दी नहीं दी जा सकी क्योंकि आर्डर बहुत देर से दिये गये थे और समय पर इनका प्रबन्ध नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ). जांच पूरी नहीं हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संघ

†**२०. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में विश्व स्वास्थ्य संघ ने किन किन योजनाओं में सहायता की थी;

(ख) उस प्रयोजन के लिये (प्रत्येक योजना वार) कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग). १९५२ से लेकर भारत विश्व स्वास्थ्य संघ कितना वार्षिक अंशदान दे रहा है ; और

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ ने भारत से स्थानिक हैजा महामारी समाप्त करने के सम्बन्ध में भारत की कोई सहायता की है अथवा ऐसी कोई प्रस्थापना है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). प्रथम पंचवर्षीय योजना में विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा १७ योजनाओं में सहयता की गई है। विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा इन स्वास्थ्य योजनाओं को यह सहायता सामान्य तथा प्रविधिक कर्मचारियों की सेवायें प्रदान करने में दी गई है और जहां कहीं प्रदर्शनों के लिये किहीं उपकरणों की आवश्यकता थी, वहां पर वे उपकरण भी प्रदान किये गये हैं। सरकारों को सीधा ही धन नहीं दे दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्व स्वास्थ्य संघ से प्राप्त सहायता की योजनावार राशि इस प्रकार है :—

प्रथम पंच वर्षीय योजना में विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं	प्राप्त राशि अमरीकन डालर
१. शिक्षा तथा प्रशिक्षण——	
प्रशिक्षण रुजालय	१२७,१०३
२. मलेरिया	१२८,०२६
३. मातृक तथा बाल स्वास्थ्य	१३४,६९९
४. परिचर्या	९१,८१८
५. क्षयरोग	२१३,१८७
६. गुप्त रोग	११८,०७२
७. अधिछात्रवृत्तियां	२८४,३१५
८. चिकित्सा साहित्य तथा शिक्षण सम्बन्धी उपकरण	२५,३७६
९. स्थानिक महामारियां	२५,०९९
१०. वातावरण की स्वच्छता	२२,९९१
११. मानसिक स्वास्थ्य	२६,२५५
१२. स्वास्थ्य वीक्षकों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम-परिचर्या	१०,८४७
१३. पाईडाइट्रिक्स[2]-परिचर्या का पाठ्यक्रम	१,८९३
१४. परिचर्या—शिक्षकों के लिये पाठ्यक्रम-परिचर्या	१,६८४
१५. बी० सी० जी० सम्बन्धी आन्दोलन	९७,९५४
१६. आहार पुष्टि	१,२००
१७. अन्य परियोजनाएं	१५,१७८

(ग) १९५२ से लेकर भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संघ को दिया गया वार्षिक अंशदान निम्नलिखित है :—

वर्ष	भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संघ को दिया गया अंशदान
	अमरीकन डालरों में
१९५२	२८३,४२७
१९५३	२७३,०५५
१९५४	२७२,५३३
१९५५	३०४,९७०
१९५६	३३७,०५०

† मूल अंग्रेजी में

[2] Paediatrics.

(घ) भारत से हैजा महामारी का उन्मूलन करने के सम्बन्ध में इस समय ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संघ सहायता कर रहा हो। अक्टूबर, १९४९ में हैजा के सम्बन्ध में विचार करने वाले अध्ययन मण्डल ने विश्व स्वास्थ्य संघ की सहकारिता से भारत के उन ग्राम्य क्षेत्रों का दौरा किया था जहां पर ये रोग प्रायः हो जाता था। भारतीय चिकित्सा परिषद् के निर्देशक इस अध्ययन मण्डल के सभापति थे। फिर १९५१ में उनकी अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य संघ की हेजा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी जिसमें हैजा फैलाने में उत्तरदायी सभी तत्वों पर विचार विमर्श किया गया था और उसकी रोकथाम के लिये कई सुझाव दिये गये थे।

हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति

†**२१. श्री त० ब० विठ्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद विभाग के रेलवे पुलों का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टाटा नगर-गुआ यात्री गाड़ी

†**२२. श्री देवगम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलवार को, अर्थात् चैबासा हाट के दिन, टाटा नगर-गुआ यात्री गाड़ी में कितने डिब्बे लगाये जाते हैं और उनमें कुल कितने यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है ;

(ख) मंगलवार को चैबासा स्टेशन पर गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों के लिये औसतन कितने टिकट जारी किये जाते हैं;

(ग) मंगलवार की शाम को, चैबासा स्टेशन से वापिस आने वाले यात्रियों के लिये औसतन कितने टिकत जारी किये जाते हैं ;

(घ) क्या बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिये टी० टी० का तीसरे दरजे के डिब्बे में प्रवेश करना संभव है;

(ङ) क्या बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों को मंगलवार की शाम को पांडरसाली तथा राजखरस्वान स्टेशनों पर पकड़ा जाता है ; और

(च) यदि हां, तो मंगलवार को औसतन कितने यात्री पकड़े जाते हैं और उनसे कितनी राशि प्राप्त की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) हाट के दिन गाड़ियों में ९ डिब्बे लगाये जाते हैं, और उनमें कुल ८ प्रथम दरजे के 'बर्थ' और तीसरे दरजे की लगभग ७२० 'सीट' होती हैं ।

(ख) ६००

(ग) २२३

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, हां ।

(च) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोकसभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में पीने के पानी का संभरण

†**२३. श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली में संभरित किये जाने वाले पीने के पानी को गन्दा होने से बचाने के सम्बन्ध में प्रस्थापित कार्यवाहियों के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : दिल्ली में सम्भरित किये जाने वाले पीने के पानी को गन्दा होने से बचाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

१. यमुना नदी को वजीराबाद के जलान्तर्ग्रहण प्रस्तम्भ[3] की ओर नियन्त्रित करने की समस्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, पूना को निर्देशित की गई है, और उसकी सिफारिश से वजीराबाद में ३००० फुट लम्बा उच्च बन्द[4] तथा एक नीचा बांध[5] बनाना है। बंद के निर्माण के सम्बन्ध में काम प्रारम्भ हो चुका है और इस वर्ष के जून मास के मध्य में ही पूरा हो जायेगा । नदी के नीचे की ओर बहाव पर बांध के निर्माण कार्य को भी प्रारम्भ कर दिया गया है . और वह १९५८ के बाढ़ के मौसम से पूर्व ही पूरा हो जायेगा ।

इन कार्यों से यमुना नदी को जलान्तर्ग्रहण प्रस्तम्भ के निकट दाहिने किनारे की ओर जाने में सहायता मिलेगी ।

२. नजफगढ़ के नाले को वजीराबाद के जलान्तर्ग्रहण प्रस्तम्भ से ३००० फुट नीचे की ओर कर दिया गया है । मोड़ा गया यह नाला इस वर्ष के प्रारम्भ में चालू किया गया था । इस मोड़ से अब इस बात की संभावना नहीं है कि नाले का पानी पम्पों द्वारा ऊपर की ओर खींचा जा सके ।

३. कारोनेशन पिलर के निकट उत्तर-दिल्ली मल शोधन संयंत्र[6] स्थापित किया गया है और उसने मार्च, १९५७ से अपना काम प्रारम्भ कर दिया है । नजफगढ़ नाले के वर्तमान मल प्रवाह का यह शोधन करेगा ।

४. केशोपुर गांव के निकट पश्चिम दिल्ली मल शोधन संयंत्र का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि वह १९५८ के मध्य में पूरा हो जायेगा । इसके द्वारा पश्चिम दिल्ली

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

[3] Intake piers.
[4] Embankment.
[5] Low weir.
[6] North Delhi Sewage Treatment Plant.

क्षेत्र की नालियों के पानी का, जोकि इस समय नजफगढ़ नाले को भर देता है, पूर्णरूपेण शोधन किया जायेगा ।

५. दिल्ली गेट के मल प्रणाल के निर्माण के लिये टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इसके पूरा हो जाने तथा चालू हो जाने पर यमुना नदी का पानी गन्दे पानी से दूषित न होगा ।

६. उस 'वाटर वर्क्स' के स्थान पर नीरजकों[7] की क्षमता को बढ़ा कर दुगना कर दिया गया है और जब भी आवश्यकता हुई, जल के पूर्व नीरजन के लिये अधिक क्षमता के नये नीरजकों की व्यवस्था की गई ।

७. समस्त आवश्यक उपकरणों सहित एक रासायनिक, जीवाणु-प्रयोग शाला[8] स्थापित कर दी गई है और वह जल विश्लेषन में विशेष रूप से अनुभवी कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही है ।

भोपाल कृष्यकरण तथा भूमि विकास (कांस का उन्मूलन) अधिनियम, १९५४

†**२४. श्री कामत :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८२ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक आयुक्त, भोपाल के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो उस अपील का क्या परिणाम हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मामले के अभिलेख अभी छापे जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार इसके छप जाने के बाद ही अपील दायर करने का विचार रखती है ।

राजकुमारी खेल शिक्षण योजना[9]

†**२५. श्री कामत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९५६–५७ में राजकुमारी खेल शिक्षण योजना के कार्यों (और प्रत्येक मद पर आने वाले खर्च) को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगी कि इस सम्बन्ध में १९५७–५८ में क्या क्या कार्य करने की प्रस्थापना है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनबुन्ध संख्या ७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[7] Chlorinators.

[8] Bacteriological laboratory.

[9] Rajkumari Sports Coaching Scheme.

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि

†खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) : आपकी अनुज्ञा से, मैं प्रश्न संख्या ५९* को एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करना चाहता हूं । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने मुझ से यह प्रश्न पूछा था; "प्रति मास कितने चावल की निकासी है और सरकार के पास इसका कुल कितना स्टाक है ? " उसका उत्तर मैं ने यह दिया था, "हम एक लाख टन प्रति मास की दर से दे रहे हैं । इस समय हमारे पास २ लाख टन चावल है । "

वास्तव में ऐसी स्थिति दिसम्बर में थी । अब, चावल की फसल हो जाने के कारण कम परिमाण में चावल निकल रहा है । अब परिणाम घटकर २८,००० टन प्रति मास हो गया है । हमारे पास स्टाक में २ लाख टन चावल है और ७ लाख टन और चावल भी पहुंच रहा है जोकि हमने बर्मा से खरीदा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*कृपया देखिये पृष्ठ संख्या ६९

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २५ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ६७–८२

तारांकित प्रश्न संख्या **विषय**

५६ बम्बई मंगलौर राष्ट्रीय राजपथ ६७–६८
५९ चावल के मूल्य में वृद्धि ६८–७१
६० नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य ७१–७३
६२ तूतीकोरिन ऐक्सप्रेस दुर्घटना ७३–७४
६३ टाटानगर-गुआ लाइन पर गाड़ियों में भीड़ ७४–७५
६४ चितौड़गढ़-कोटा रेलवे लाइन ७५
६५ आरोग्य केन्द्र ७६
६६ गुडूर-रेनीगुन्ता रेल लाइन ७६–७७
६७ सूरतगढ़ में मैक्नाइज़ड फार्म ७७–७८
६८ सेतुसमुद्रम परियोजना ७८–७९
६९ केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ७९–८०
७० तूतीकोरिन ऐक्सप्रेस दुर्घटना ८०
७१ रेलवे यात्री सुविधाएं ८१
७२ तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना ८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर ८२–८८

तारांकित

प्रश्न संख्या

५७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना ८२–८३
६१ रेलवे कर्मचारियों के लिये नई योजना ८३

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१८ राजस्थान पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन कालेज, बीकानेर ८३–८४
१९ रेलवे कंडक्टर गार्डों के लिये वर्दियां ८४
२० विश्व स्वास्थ्य संगठन ८४–८६
२१ हैदराबाद रेलवे पुल निरीक्षण समिति ८६
२२ टाटानगर-गुआ यात्री गाड़ी ८६–८७
२३ दिल्ली में पीने के पानी का संभरण ८७–८८
२४ भोपाल भूमि कृष्यकरण तथा विकास (कांस का उन्मूलन) अधिनियम, १९५४ ८८
२५ राजकुमारी खेल शिक्षण योजना ८८
तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि ८९

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

[illegible]

1st Lok Sabha

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

- कुछ सदस्यों का निधन . . . १
- विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २
- राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . ३–७
- स्थगन प्रस्ताव—
  - पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . . ८
- सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२
- लोक-लेखा समिति—
  - बीसवां प्रतिवेदन . . . १२
- सदस्यों द्वारा पद त्याग . . . १२
- दैनिक संक्षेपिका . . . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

- श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन . . . १७
- सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १७–२०
- प्राक्कलन समिति—
  - चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . २१
- सदस्य द्वारा पदत्याग . . . २१
- रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—
  - उपस्थापित . . . २१–२४
- १९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण . . . २४
- १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण . . . २५
- केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण . . . २५–२६
- १९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . . . २६
- समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २६–२८
  - विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६
  - खंड २ से ७ और १ . . . २७
  - संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८
- विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८
  - विचार के लिये प्रस्ताव . . . २८
  - खंड २ से ९ और १ . . . ३५–३८

पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . . ३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . . ३८–४२
  वित्त विधेयक ४२–४३
  पुरस्थापित ४२
नियम समिति—
  आठवां प्रतिवेदन ४३
कार्य मंत्रणा समिति—
  अड़तालीसवां प्रतिवेदन ४३
दैनिक संक्षेपिका ४४–४७

अंक ३—बुधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९, ५०
प्राक्कलन समिति—
  सैंतालीसवां प्रतिवेदन ५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५०–८४
दैनिक संक्षेपिका ८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
  अड़सठवां प्रतिवेदन ८९
कार्य मंत्रणा समिति—
  अड़तालीसवां प्रतिवेदन . . ८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ . १००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनुपूरक मांगें १९५६–५७ }
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } . १०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल १२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १२५–२९
दैनिक संक्षेपिका १३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३५
राज्य सभा से संदेश १३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
  प्राक्कलन समिति १३६
  उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
  बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
  विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
  विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
  विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
  विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . {१८ –९४, १९ –२२३}
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
  इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२६५
राज्य-सभा से संदेश	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
प्राक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बिनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव	३०१
खण्ड १ से ६	३०२
पारित करने का प्रस्ताव	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

पृष्ठ

अंक ९— बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११–१६
लोक-लेखा समिति—
  चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६
प्राक्कलन समिति—
  बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
  भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६–१८
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—
  विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८–३३
लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३–४७
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—
  पुरःस्थापित ३४८
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८–५३
दैनिक संक्षेपिका ३५४–५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७–६०, ३६५
हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०
राज्य-सभा से संदेश ३६१
लोक-लेखा समिति—
  तेइसवां प्रतिवेदन ३६१
प्राक्कलन समिति—
  छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से बासठवां प्रतिवेदन ३६१
याचिका समिति—
  बारहवां प्रतिवेदन . . . ३६२
आश्वासनों संबंधी समिति—
  चौथा प्रतिवेदन ३६२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
  ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ३६२–६३
स्थगन प्रस्ताव—
  कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३–६४
सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

पृष्ठ

नियम समिति—

नवां प्रतिवेदन ३५६

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . . ३५६
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . ३६०—७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७—५८ . . . ३७२—८२

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

पारित ३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . . . ३८२—९०
विचार करने का प्रस्ताव ३८२
खंड १ से ३ . . . . . ३९०
पारित करने का प्रस्ताव ३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा . ३९०—९५
विदाई भाषण . . . . . . ३९५—४०१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४०२—०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . . ४०६—०७
अनुक्रमणिका . . . . . . (१—१०४)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक–सभा

सोमवार २५ मार्च १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-४० बजे

*तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर की शुद्धि

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गन्दी बस्तियों (सुधार तथा हटाया जाना) नियम

[†]**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : मैं, गन्दी बस्तियों (सुधार तथा हटाया जाना) अधिनियम १९५६ की धारा ४० की उप धारा (३) के आधीन ६ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ़ ८–७।५७ एल एस जी में प्रकाशित गन्दी वस्तियों (सुधार तथा हटाया जाना) नियम १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५३–५४ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५५—भाग २

[†]**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन विनियोग लेखे (असैनिक) १९५३–५४ (जिनमें वाणिज्यिक लेखे के प्रयत्न भी सम्मिलित हैं) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५५—भाग २ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

[†]**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विविध सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों, द्वारा दिए गए विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २, चौदहवां सत्र, १९५६।

देखिये वाद-विवाद भाग १ दिनांक २५ मार्च १९५७ पृष्ठ ८९।

[†] मूल अंग्रेजी में।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९, तेरहवां सत्र १९५६।

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १५, बारहवां सत्र १९५६।

(४) अनपूरक विवरण संख्या १७, ग्यारहवां सत्र १९५५।

(५) अनपूरक विवरण संख्या २०, दसवां सत्र, १९५५।

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २६, नवां सत्र १९५५।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों का संशोधन

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में और आगे कुछ संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) २ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०—६५१

(२) ९ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०— ७४७

भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) विनियमन

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैं श्री दातार की ओर से भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) विनियमन, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विदेशी व्यक्ति पंजीयन अधिनियम के अधीन छूट की घोषणा

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैं, श्री दातार की ओर से विदेशी व्यक्ति पंजीयन अधिनियम १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अधीन छूट की निम्न घोषणाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) १।६२।५६–एफ० आई०	८ दिसम्बर, १९५६	(१ घोषणा)
(दो) १।११४।५६–एफ० आई०	२६ दिसम्बर, १९५६	(१ घोषणा)
(तीन) १।६७।५७–एफ० आई०	२८ दिसम्बर, १९५६	(२ घोषणायें)
(चार) १।६६।५६–एफ० आई०	२८ दिसम्बर, १९५६	(१ घोषणा)
(पांच) १।१।५७–एफ० आई०	१२ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(छै) १।३।५७–एफ० आई०	१४ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(सात) १।४।५७–एफ० आई०	१९ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(आठ) १।५।५७–एफ० आई०	२३ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(नौ) १।६।५७–एफ० आई०	२९ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(दस) १।७।५७–एफ० आई०	३१ जनवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(ग्यारह) १।९।५७–एफ० आई०	९ फरवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(बारह) १।१२।५७–एफ० आई०	१५ फरवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(तेरह) १।१३।५७–एफ० आई०	२१ फरवरी, १९५७	(१ घोषणा)
(चौदह) १।१६।५७–एफ० आई०	६ मार्च, १९५७	(१ घोषणा)
(पन्द्रह) १।२०।५७–एफ० आई०	१२ मार्च, १९५७	(१ घोषणा)

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्राक्कलन समिति

इक्यावनवां, छप्पनवां तथा सत्तावनवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) परिवाहन मंत्रालय—मध्यम तथा छोटे पत्तनों पर इक्यावनवां प्रतिवेदन;

(२) प्रतिरक्षा मंत्रालय—सेना सम्बन्धी भण्डारों पर छप्पनवां प्रतिवेदन।

(३) प्राक्कलन समिति के नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सत्तावनवां प्रतिवेदन।

सदस्य द्वारा पदत्याग

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्री अ० बृ० थामस ने २० मार्च १९५७ से लोक सभा से पद-त्याग कर दिया है।

केरल का आय-व्ययक १९५७-५८

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं १९५७–५८ के लिए केरल राज्य के अनुमित आय व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूँ।

सामान्य निर्वाचन समाप्त हो गये हैं। नई सरकार बनने में तथा उसके द्वारा नवीन राज्य विधान सभा में आय-व्ययक पुरःस्थापित करने में समय लगेगा। राज्य प्रशासन चलाने के लिए जब तक नई सरकार, अपनी विधान सभा से पूरे वर्ष का आय-व्ययक पारित कराने की स्थिति में हो, उस समय तक के लिए निधि की स्वीकृति इस महीने की समाप्ति से पूर्व, आवश्यक है। इसलिए यह एक अन्तरिम आय-व्ययक है जिसमें संसद् से आगामी वर्ष को तीन महीनों के खर्च की स्वीकृति के लिए कहा गया है।

आगामी वर्ष के लिए आय-व्ययक पर कुछ कहने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान आय-व्ययक पत्रों में नहीं दिखाए गए हैं। क्योंकि केरल राज्य १ नवम्बर १९५६ को ही बना था तथा पिछले पांच महीनों के आंकड़ों से समस्त वर्ष के अनुमानों की तुलना नहीं की जा सकती है।

१९५७–५८ वर्ष के लिए केरल राज्य के राजस्व का अनुमान २६.५० करोड़ रुपये तथा राजस्व लेखे का व्यय २७.५२ करोड़ रुपये लगाया गया है अर्थात् १.०२ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। राजस्व अनुमानों में कोई नया कर लगाने की व्यवस्था नहीं है तथा नही करों की वर्त्तमान दरों को बढ़ाने की व्यवस्था है क्योंकि इस पर नई सरकार ही विचार करेगी। परन्तु अन्तर्राज्यीय बिक्री कर से तथा बिक्री कर की देश का दाशमिक मुद्रा प्रणाली में परिवर्त्तन से ७५ लाख रुपया जमा खाते में अतिरिक्त आने की संभावना है। कुछ दिन पूर्व विधान सभा द्वारा पारित्त कानून के आधीन लगाये गये पानी कर तथा सुधार कर से ५ लाख रुपये की प्राप्ति की भी सम्भावना है। २६.५० करोड़ रुपये के राजस्व की मुख्य मदों में हैं। संघ उत्पादन शुल्क आयकर, तथा सम्पत्ति शुल्क में राज्य का भाग, जो ३.११ करोड़ रुपय आता है, राज्य कृषि आय-कर १.८१ करोड़ रुपये; भूमि राजस्व,

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

१·२० करोड़ रुपये; राज्य उत्पादन शुल्क १·१६ करोड़ रुपये; स्टाम्स १·१६ करोड़ रुपये; वन २·७८ करोड़ रुपये, बिक्री कर ४·३१ करोड़ रुपये; केन्द्र द्वारा अनुदान, ३·६० करोड़ रुपये तथा अन्य विविध राजस्व ६.३७ करोड़ रुपये।

व्यय के अनुमान वर्तमान कर्मचारियों के वर्तमान वेतनक्रम के अनसार तैयार किये गये है तथा वर्तमान अस्थाई कार्यालयों को बनाये रखने के उपबन्ध इसमें शामिल हैं। योजना में सम्मिलित छोटी योजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है।

राजस्व लेखे से अलग पूंजीगत्त व्यय के लिए ९·५९ करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इसमें हैं। इसकी मुख्य मदें ये हैं:—सिंचाई योजनायें १९५ लाख रुपये, औद्योगिक विकास ५२ लाख रुपये, असैनिक कार्य २७३ लाख रुपये, पानी तथा नाली योजना १०८ लाख रुपये तथा विद्युत योजनायें ३०९ लाख रुपये। माननीय सदस्यों को व्याख्यात्मक ज्ञापन से नई योजनाओं के ब्यौरे मालूम हो सकते हैं तथा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों के ब्योरे आय-व्ययक प्राक्कलनों के परिशिष्ट में किये गये हैं। इसलिए मेरा यह विचार नहीं है कि इन योजनाओं की सूची बताने के लिए सभा का समय लूं। पूंजीगत्त व्यय के साथ साथ प्राक्कलनों में १०९ लाख रुपये के ऋण की तथा राज्य सरकारों को अग्रिम धन दिये जाने और केन्द्रीय ऋण के भुगतान के लिए ९५ लाख रुपये की भी व्यवस्था है।

इस प्रकार राजस्व तथा पूंजी लेखे का कुल व्यय ३९·१५ करोड़ रुपये आत्ता है। इस व्यय में से १५·१४ करोड़ रुपये योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिए भी हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मद्रास राज्य को हस्तांतरित्त क्षेत्रों का समायोजन करके केरल राज्य में द्वितीय योजना का कुल व्यय ८७ करोड़ रुपये निश्चित किया गया है। इस योजना लक्ष्य के अतिरिक्त योजना के प्रथम वर्ष में लगभग १४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार पहले दो वर्षों में, वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग २९ करोड़ रुपय कुल व्यय होगा। आगामी वर्ष के लिए योजना व्यय का अनुमान राज्य में इस समय प्राप्य संसाधनों के अनुसार योजना आयोग की सलाह से किया गया है। यदि राज्य सरकार वर्ष में अतिरिक्त संसाधन बढ़ा पाई तो वह योजना आयोग की सहमति से योजना में अतिरिक्त छोटी योजनायें बढ़ा सकते हैं।

इन अनुमानों के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा पूरा करने के लिए १०·२ लाख रुपये की अपेक्षा होगी तथा ऋण अग्रिम धन के रूप में पूंजीगत्त व्यय को पूरा करने के लिए ११·६३ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस तरह कुल १२·६५ करोड़ रुपये की अपेक्षा होगी। अनुमान में यह धारणा की गई है कि राज्य सरकार सार्वजनिक ऋण के रूप में २·२५ करोड़ रुपये तथा ४·७२ करोड़ रुपये का केन्द्रीय ऋण इकट्ठा कर लेगी। अन्य शीर्षों से २.५८ करोड़ रुपये की आशा है। इस प्रकार ३१० लाख रुपये रह जाते हैं जो अंशत: भारत सरकार की प्रतिभूतियों को जो राज्य सरकार के पास २·५ करोड़ रुपये की राशि की है, बेचकर तथा अंशत: ६० लाख रुपये के नकद धन में कमी करके पूरी की जायेगी।

मेरे साथी गृहमंत्री राष्ट्रपति के शासन काल में भूतपूर्व त्रावनकोर कोचीन राज्य में केरल राज्य में हुए सरकारी कार्यों के संबंध में एक प्रतिकर परिचालित्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि इस अवधि में राज्य की प्रगति से हम सब संतुष्ट हैं। केन्द्रीय सरकार सभी संभव प्रकार से राज्य की सहायता करने को उत्सुक है तथा मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सहायता दी जायेगी।

राष्ट्रपति से संदेश

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे राष्ट्रपति से निम्न सन्देश मिला है:—

> "१८ मार्च, १९५७ को समवेत हुए दोनों सदनों को मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिए लोक-सभा द्वारा पारित धन्यवाद का प्रस्ताव मुझे मिल गया है और उस पर मुझे संतोष है।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, म प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

अभी कुछ दिन हुए जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब माननीय सदस्यों ने विदेशी मामलों के बारे में भी कई बार जिक्र किया। मैंने भी अपने भाषण में बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया था। इस प्रकार, मैं समझता हूं कुछ हद तक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों पर इस सभा में विवाद हो चुका है।

मेरे विचार से लगभग चार माह पूर्व हमने इस सभा में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों पर विवाद किया था। शायद गत नवम्बर में हमने मिस्र पर हुए सैनिक आक्रमण के द्वारा उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति पर विवाद किया था। केन्द्रीय यूरोप में हंगरी में भी गंभीर स्थिति हो गई थी। उस अवसर पर नवम्बर में, मैंने इन्हीं दो मामलों पर आपके सामने कुछ कहा था। इन चार महीनों में बहुत सी बातें हुई हैं तथा कुछ मामलों में पर्याप्ति प्रगति हुई है परन्तु मेरा विचार है कि अभी सामान्य वातावरण आशा जनक नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कुछ उलझन के मामले हैं।

जहां तक स्वेज नहर तथा उसके आस पास की स्थिति का सम्बन्ध है, हम एक ओर मिस्र सरकार से परामर्श करते हैं, तथा दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में उन व्यक्तियों से जो इस समस्या से अत्यधिक सम्बन्धित हैं भी विचार विनिमय करते रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण समझौते के सभी संभावित्त उपाय किये हैं। हमने ऐसा समझौता कराने का प्रयत्न किया है जिससे मिस्र राष्ट्र के अधिकारों अथवा सभी राष्ट्रों की सर्वप्रभुत्व संपन्नता की ही सुरक्षा नहीं होगी अपितु जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की भी कोई हानि नहीं हीगी। मैं मिस्र के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि मेरे स्वेज नहर के बारे में संतोषजनक अब हल निकल जाने के आसार हैं। संभवत: कुछ दिनों में एक सप्ताह अथवा दो सुप्ताहों में, नहर यातायात के लिए खुल जायेगी। सभा को याद होगा कि गत पांच छ: महीनों में स्वेज नहर के बारे में झगड़ा हुआ तथा इसीलिए यदि यह निबटारा हो जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और मिस्र की सर्व प्रभुत्व सम्पन्नता के अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नहर का किस प्रकार प्रयोग किया जाय तो इससे बड़ा लाभ होगा।

मेरा यह कहना नहीं है कि इससे मध्यपूर्व की समस्या सुलझ जायेगी। परन्तु निश्चित्त रूप से उससे तनाव ज़रूर कम हो जायेगा। जैसा कि सभा जानती है गाजा पट्टी, अकाबा की खाड़ी तथा सामान्यत: सारे मध्य पूर्व की स्थिति कठिन ही है। परन्तु मेरे विचार से यह समस्यायें एक साथ ही नहीं सुलझ सकती हैं। धीरे धीरे एक एक को सुलझाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संभवतः आज विश्व की स्थिति पर दृष्टि डालने से मध्य पूर्व बड़ा कठिन तथा विस्फोटक क्षेत्र कहा जा सकता है । स्वेज नहर के मामले तथा अन्य मामलों के संभावित्त हल की ओर प्रगति करने पर भी, तथा आक्रमक सेनाओं के मिस्त्री क्षेत्र से हट जाने पर भी, यह क्षेत्र और मध्यपूर्व अभी भी बड़ा कठिन क्षेत्र है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि यह क्षेत्र पहले से ऐसा था परन्तु यह क्षेत्र मध्यपूर्व में उठाये गये झगड़ों के कारण ऐसा हो गया है ।

दुर्भाग्यवश, विश्व में यह झगड़े अंशतः कुछ स्थानीय कठिनाइयों के कारण तथा अंशतः कुछ दूर की ऐसी कठिनाइयों के कारण जिनका विश्व के एक भाग विशेष पर असर पड़ता है, उठते हैं । सभा जानती है कि इन सैनिक सन्धियों की ओर हमारा क्या रुख है क्योंकि यह कही तो प्रतिरक्षात्मक जाती है परन्तु होती आक्रमक है । ज्यूंही कोई देश अन्य देशों से प्रतिरक्षात्मक समझौता करता है तो उसका परिणाम कुछ दूसरा ही होता है तथा हमको कहना पड़ता है कि ये सन्धियां शान्ति बनाये रखने में बाधक हैं ।

कोई भी इस बात को देख सकता है कि गत कुछ महीनों की मध्य पूर्व की अथवा पश्चिमी एशिया की घटनायें, इन्हीं सन्धि के परिणाम हैं । यदि मैं हंगरी के बारे में कुछ कहूं तो यही कहूंगा कि सन्धियों ही के कारण उसमें गड़बड़ी हुई । इन घटनाओं से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सैनिक सन्धियां जो राष्ट्रों का एक दल संभवतः दूसरे दल के विरुद्ध करता है शांति तथा सुरक्षा के लिए घातक है ।

दुर्भाग्यवश फिर भी ये सन्धियां हैं तथा और हो रही हैं । कुछ ही दिन पूर्व हमने सीटो सन्धि के तथा बगदाद सन्धि के बारे में सुना । इन दोनों का भारत पर और किसी सन्धि से अधिक असर पड़ता है । नाटो अथवा वारसा सन्धि पर तो फिर भी कुछ अलग रह कर और विश्व नीति पर अपने विचारों के आधार पर विचार कर सकते हैं । परन्तु जैसा कि सभी जानते हैं बग़दाद सन्धि तथा सीटो का भारत पर प्रत्यक्ष रूप में असर पड़ता है । इसीलिए, हमने उनको बड़े संदेह की दृष्टि से देखा है ।

सैनिक सन्धियों के प्रश्न पर विचार करते हुए मैं चाहता हूं कि यह सभा यह न समझे कि इन सन्धियों के बारे में कह कर मैं विदेशों की भूतकालीन वर्त्तमान नीति की आलोचना कर रहा हूं । संभव है कि इस समय कोई चीज़ आवश्यक हो । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान घटनाओं में इन सन्धियों से शांति बनाये रखने में सहायता नहीं मिलेगी । सच यह है कि इनका उल्टा असर होगा और इनका हम पर बुरा असर हुआ भी है । हमने देखा कि बड़े बग़दाद सन्धि का तथा एक मीमा तक सीटो का भी हमारे विरुद्ध काश्मीर के मामले में किस प्रकार प्रयोग किया जाय ।

संभवतया काश्मीर के मामले में इन सन्धियों का कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु यह इस मामले में आए तथा इन सन्धियों के सदस्यों ने इस मामले पर भी उसी प्रकार के मामलों के रूप में विचार किया जिनका उससे सम्बन्ध है । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यह सन्धियों का, जो किसी अन्य प्रयोजन से की गई प्रयोग दूसरी प्रकार से किया गया तथा कठिनाई उपस्थित की गई । इन्हीं सन्धियों के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भारत की सीमा तक पहुंच गया । इस मामले से हमारा सम्बन्ध है । हम कहीं भी शीत युद्ध नहीं चाहते तथा विशेषतया भारत की सीमाओं पर । मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीत युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय समस्या और उलझ जायेगी । इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति संदेह, भय तथा ईर्ष्या से भरपूर है और शीत युद्ध से इस स्थिति को सुलझाया नहीं जा सकता । शीत युद्ध मे यह सब बातें उठती हैं । हमें इनको दूर करने के लिये कोई और हल ढूंढना पड़ेगा ।

मेरा यह कहना नहीं है कि इस देश अथवा किसी दूसरे देश में हमें प्रतिरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर देना चाहिए जिससे खतरे उत्पन्न हो जायें । कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है । कोई भी

देश दूसरे को यह सुझाव नहीं दे सकता है कि वह खतरे उठाने को तैयार रहे तथा आशा करें कि सब कुछ ठीक रहेगा। परन्तु इन दोनों नीतियों के मध्य में भी कोई नीति है जिससे हम खतरों के लिये तैयार रहते हुए भी शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

आजकल का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न लीजिए। उद्‌जन बम तथा अण्विक शस्त्र के बारे में क्या किया जा रहा है? मेरा विचार है कि दूसरे दल के आक्रमण के डर से, वह देश जिनके पास यह हथियार है, उनको और बढ़ा रहे हैं जब कि सब जानते हैं कि यदि इनका एक बार प्रयोग किया गया तो यह उन दोनों के लिए ही नहीं वरन् विश्व के बड़े भाग के लिए विनाशकारक होंगे और इसीलिए सभी चाहते हैं कि इनका प्रयोग न हो। परन्तु फिर भी वह इस भय से कि कहीं दूसरें के पास इससे अधिक नहीं इनका प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार हम इस गन्दे वातावरण से गुजरते हैं और शीतयुद्ध से बाहर निकल नहीं सकते। यह जरूरी है कि कोई और तरीका अपनाया जाये जिसमें कोई खतरा न हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बड़े देश अथवा छोटे देश, दोनों को यह कहना होगा परन्तु मेरा निवेदन है कि सैनिक सन्धियों से संरक्षण न तो भूतकाल में देखा गया है तथा न ही भविष्य में कभी ही चाहे यह सन्धियां रूस से हो चाहे ब्रिटेन अथवा अमेरिका अथवा और किसी देश से, क्योंकि ये आण्विक शस्त्र दोनों दलों के पास है तथा वे इन न्यू हथियारों को बढ़ाते जा रहे हैं।

निरस्त्रीकरण का प्रश्न लीजिए। कुछ ऐसे आसार नजर आये थे कि संभवतया निरस्त्रीकरण के प्रश्न के कुछ परिणाम निकले। परन्तु ऐसे परिणाम नहीं निकले जिनकी हमें आशा थी। इसीलिए मैं इस बारे में अधिक आशावादी होना नहीं चाहता हूं। परन्तु मेरा विचार है कि यदि इस प्रयत्न को जारी रखा जाये तो बाद में इसका कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता क्योंकि भूतकाल में हमें बड़ा असंतोष रहा है तथा अधिक आशा करना उचित नहीं है।

इस समय निरस्त्रीकरण करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि निरस्त्रीकरण न होने से संभव है स्थिति काफ़ी बिगड़ जाये और फिर उस पर काबू पाना बहुत कठिन होगा। वर्तमान समय में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सत्य यह है कि जितना धन शस्त्रों पर लगाया जा रहा है उतने ही की देशों के विकास के लिए आवश्यकता है जिससे विश्व में सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाये।

कुछ दिन पूर्व विश्व के दो शक्तिशाली राष्ट्रों, रूस तथा अमेरिका ने कुछ प्रस्ताव रखे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ प्रस्ताव रखे जिनको आइजनहोवर सिद्धान्त कहा जाता है। रूस ने भी कुछ स्वतंत्र प्रस्ताव रखे। मेरा यह विचार नहीं है कि इस समय इन प्रस्तावों पर चर्चा करने अथवा इनकी आलोचना करूं। मुझे इससे कोई संदेह नहीं है कि दोनों शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मै यह कहना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों से जो भय तथा संदेह के कारण रखे गये हैं, कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकती। यद्यपि यह प्रस्ताव बड़े अच्छे हैं फिर भी केवल कुछ ही व्यक्ति यह मानते हैं कि इन्हें सच्ची भावना से रखा गया है।

विश्व की स्थिति बड़ी गम्भीर है तथा आवश्यकता इस बात की है कि दोनों देशों के नेता, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति तथा रूस के नेता, आपस में बातचीत करें। तभी यह संभव है कि कुछ लाभ हो सके। एक दो वर्ष पूर्व ये महान व्यक्ति एक दूसरे मे मिले थे और उस समय विश्व का वातावरण काफी शांत हो गया था तभी सब शांति की आशा करने लगे थे।

यहां पर किसी प्रस्ताव का पक्षपात करने का प्रयत्न नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति आईजनहावर के प्रस्ताव तथा विशेषतया जिनमें उन्होंने आर्थिक सहायता के बारे में कहा है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि रूस के द्वारा दिए गए बहुत से प्रस्ताव लाभदायक हैं। परन्तु इनको किस प्रकार लागू किया जायेगा यह दूसरी बात है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुझे एक बात का बड़ा ही दुख है कि एशिया के कुछ क्षेत्रों को रिक्त स्थान कहा गया है जिनको बाहर से कोई आकर ही भर सकता है। मेरा विचार है कि यह एक खतरनाक बात है। मेरा विचार है कि रिक्त स्थान उन्हीं को माना गया है जिनके पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र नहीं हैं। यदि आप शस्त्रास्त्रों के आधार पर उन पर विचार करते हैं तो केवल दो देश रह जाते हैं जो उद्जन रखते हैं और वे हैं अमेरिका और रूस। आप कह सकते हैं कि इनके अतिरिक्त अन्य देश रिक्त-स्थान हैं क्योंकि उनके पास उद्जन बम नहीं है। यह बात बड़ी खतरनाक है। दो देश बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा और भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं। तो क्या आप छोटे तथा निर्बल देशों को रिक्त-स्थान कहेंगे? यह एक बड़ा भयानक विचार है, विशेषतया एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए। इसका तो यह अर्थ हुआ कि जहां से कोई साम्राज्य वादी शक्ति हट जाये वहो रिक्त स्थान हो जायेगा। यदि ऐसा है तो यह रिक्त स्थान किस प्रकार भरा जा सकता है। यह केवल तभी भरा जा सकता है जब दूसरी शक्ति आगे बढ़े और अगर शक्ति दोबारा वहां आ जाती तो फिर वहां पुरानी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसको तो केवल उस देश का विकास करके ही भरा जाना चाहिए, और किसी प्रकार नहीं। दूसरी कठिनाई यह है कि जब देश में कोई झगड़ा होता है अर्थात् दूसरा देश उस देश में आना चाहता है अथवा अपना प्रभाव उस क्षेत्र पर रखना चाहता है तो दूसरा विरोधी दल कुछ सन्देह करने लगता है तथा ऐसी नीति चलाने का प्रयत्न करता है जिससे उसके प्रभाव वाला देश अथवा क्षेत्र वहां अथवा और कहीं बन जाये। इस प्रकार यदि विश्व के विभिन्न भागों पर, जो शक्तिशाली नहीं है, अपना प्रभाव जमाने में आप तनातनी बढ़ाते रहेंगे तो इस प्रकार की स्थिति का कभी अन्त नहीं होगा।

आप को याद होगा यह चीज दो या तीन वर्ष पहले हिन्दचीन में हुई थी जब वहां युद्ध चल रहा था। अन्त में हिन्दचीन के बारे में जेनेवा सम्मेलन में एक समझौता हो गया था— जो इस बात पर आधारित था कि बड़े देश हिन्दचीन में आक्रामक दृष्टिकोण से न घुसें और हिन्दचीन को स्वतंत्र छोड़ दें। इसका अभिप्राय यह था कि हिन्दचीन के राज्य स्वतंत्र तथा तटस्थ नीति का अनुसरण करें। उनके साथ सहानुभूति करने वाले उनके मित्र हो सकते हैं। और वास्तव में ऐसे मित्र उनके साथ हैं भी और इस बात को कोई भी रोकता नहीं। किन्तु सैनिक गुटबन्दियां नहीं होनी चाहियें। क्योंकि जब एक बड़ा देश ऐसी गुटबन्दी करता है तो दूसरा तुरन्त उसके विरुद्ध नयी गुटबन्दी बनाने की कोशिश करता है इस प्रकार सारा मामला बिगड़ जाता है। हिन्दचीन में इस समझौते से पूर्व लगभग ६ या ७ वर्ष तक लगातार युद्ध चलता रहा और तब कहीं जाकर यह युद्ध विराम हुआ—जो इस आधार पर था कि हमें सैनिक या किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि तब से अब तक हिन्दचीन में सभी संतोषजनक बात हुई हैं किन्तु मेरे विचार में यह सच है कि उस समझौते से न केवल वह युद्ध ही रुका है जिससे वहां बड़ी तबाही हुई बल्कि उस समझौते से हालत आहिस्ता आहिस्ता सुधरती रही है। अब भी बड़ी कठिनाइयां हैं। हमें वहां पर अपने कर्तव्य का पालन करना है—क्योंकि हमें अभी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का सभापतित्व और आगे भी करना है। यह काम बड़ा कठिन है और कभी कभी हमारी स्थिति द्विविधाजनक हो जाती है किन्तु हम इस कर्तव्य से भाग भी तो नहीं सकते। हम ने वहां पर पर्याप्त सहायता की है। ज्योंहि हम छोटी समस्या का हल कर लेते हैं तो दूसरी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हालत वहां पर सुधर जायेगी। एकदम से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। जो बात हिन्दचीन पर लागू होती है वही अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होती है। तो क्यों हस्तक्षेप किया जाय ? यदि आप को भय है कि दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करेगा तो स्वतः हस्तक्षेप न करें और इस प्रकार दूसरे

को भी हस्तक्षेप करने से रोकें। यदि दूसरा पक्ष हस्तक्षेप करता है तो उस मामले में कार्यवाही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में इन पैक्टों में वृद्धि करने के बजाय--शान्ति तभी स्थापित की जा सकती है यदि यह पैक्ट कम से कम किये जायें। यदि इन सैनिक गुटबन्दियों से संतुलन होता है तो उन के न होने से भी संतुलन रहेगा और इससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि यह मामले साधारण हैं--निस्संदेह यह मामले बड़े उलझे हुए हैं और सभी देशों के लोग उनके बारे में सोचते हैं उन्हें हल करना चाहते हैं किन्तु फिर भी कठिनाई का अनुभव करते हैं।

सभा इस बात को जानती है कि मध्य पूर्व में हमारी थोड़ी सी फौज है--जो कि मिस्र के गाज़ा क्षेत्र में है। जब यह फौज वहां भेजी गई थी तब यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यह फौज मिस्र सरकार की अनुमति से वहां भेजी गई है। हम कभी भी इस मामले में नहीं आना चाहते थे क्योंकि इलाका मिस्र का था। किसी भी तरह उनकी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहते। दूसरी शर्त थी यह कि इस फौज को आक्रमणकारी फौजों की जगह लेने के लिये नहीं भेजा जा रहा है। यह फौज वहां पर दूसरे क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिये वहां नहीं गई। यह फौज वहां सन्धि रेखा पर युद्ध-विराम की देखरेख तथा शान्ति बनाये रखने के लिये वहां गई है और उसी रूप में यह वहां पर काम कर रही है। पहले यह नहर के क्षेत्र में थी और बाद में इसे गाजा क्षेत्र में भेज दिया गया अब भी यह फौज यहां ही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है--लोगों ने उसकी सराहना भी की है। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वहां के लोग उस फौज से बड़े खुश हैं।

पिछले वाद-विवाद के बाद से अब तक कुछ महत्वपूर्ण घटनायें घटी हैं जिनका कि हम बहुत स्वागत करते हैं। एक बात तो यह हुई है कि गोल्ड कोस्ट घाना राज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया है। उस अवसर पर मैं स्वतः वहां जाना चाहता था किन्तु उसी समय हमारे यहां निर्वाचन थे जिसके कारण मैं वहां न जा सका--किन्तु हम ने वहां के नेताओं को शुभेच्छा के सन्देश भेजे हैं। घाना की स्वतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है--केवल इसीलिये नहीं कि यह कोई महत्व की बातें पैदा करेगी किन्तु इसलिये कि इससे एशिया तथा अफ्रीका का रुख दिखाई देता है। मुझे इस बात से भी बड़ी प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने जो उनके आन्तरिक मामले थे उनको आपस में ही सुलझा लिया है और यह बात भी उस राज्य की स्वतंत्रता के लिये एक बड़ा अच्छा शकुन है। सभा जानती है कि स्वतंत्र होने के बाद ही देश की कठिनाइयां सामने आती हैं। वास्तविक समस्यायें आजादी के बाद सामने आती हैं और निस्सन्देह घाना के समक्ष भी ये सब समस्यायें आएंगी। में विश्वास करता हूं कि समझदारी से वह उन समस्याओं का हल कर लेंगे।

कल मुझे मलाया के एक मंत्री से मिलने का अवसर मिला। मलाया भी स्वतंत्रता की मंजिल के निकट पहुंच रहा है और मैं समझता हूं कि वैसे अस्थायी तरीके पर मलाया को अगस्त के अन्त तक स्वतंत्रता दे दी जायेगी। ये सब बड़ी प्रसन्नता सूचक बातें हें--इन से भविष्य के लिये आशायें बंधती हैं--और हम निराशाओं को भूल जाते हें। इसके बाद नाइजेरिया की बारी है और वह भी स्वतंत्र होगा। एक ओर तो उपनिवेशों की हालत बदलती जा रही है और दूसरी ओर उपनिवेशों में स्वतंत्रता के आन्दोलनों को कुचला जा रहा है।

इस समय हमारे देश में पोलैण्ड के प्रधान मंत्री आये हुए हैं। मैं समझता हूं कि सदस्यों को उन से भेंट करने तथा उनकी बातें सुनने का अवसर मिलेगा। हमें उनका विशेष सम्मान इस कारण है कि पोलैण्ड एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीयता की भावना अतिशय प्रबल है उन्होंने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बड़ी जदोजेहद की है और गत युद्ध में बहुत ही हानि सहन की है--और जिस तरीके से उन्होंने अपने बर्बाद हुए शहरों जैसे वार्सा आदि को दोबारा बनाया है वह बड़े अद्भुत हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त अभी गत वर्ष पोलैण्ड में फिर लोकतंत्रात्मक आन्दोलन चला था जिसकी सराहना बहुत से लोगों ने की है। हम लोग यह महसूस करते हैं कि परिवर्तन आदि लाने का एक और ही तरीका होता है और जो कोई चीज मजबूरी की हालत में बाहर से लाई जाती है उससे स्थिति में और भी खराबी पैदा होती है। इसलिये पोलैण्ड पश्चिम में ऐसी ही कुछ मनोवृत्तियों का प्रतीक है जिनका महत्व बहुत ही ज्यादा है।

इस समय दिल्ली में श्री यारिंग भी आये हुए हैं जो पिछले महीने सुरक्षा परिषद् के सभापति थे। वह सुरक्षा के कहने पर काश्मीर समस्या के बारे में बातचीत करने के लिये यहां आए हैं। मैं ने कल उन से बातचीत की। उनके जाने से पहले दोबारा फिर बातचीत होगी। काश्मीर के बारे में हमारी सामान्य स्थिति का वर्णन करना मैं इस समय आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उस सम्बन्ध में हम पहले से ही नीति स्पष्ट कर चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह बात स्पष्टतया कही गई है। उस अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय भी काश्मीर की ओर निर्देश किये गये हैं। बहुत से सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं और कई प्रश्न भी उठाये हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि उन प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने के स्थान पर मैं इसी वाद-विवाद में उनका उत्तर दे दूं। कई प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं। किन्तु अब संक्षिप्त रूप से मैं उनका उत्तर दूंगा।

एक समस्या है जिससे हमारे सभी लोग प्रभावित हैं--वह गोआ का प्रश्न है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के अवसर पर एक माननीय सदस्य ने जिनको गोआ के प्रशासन के सम्बन्ध में व्यक्तिगत अनुभव है, गोआ की जेलों की हालत बताई। दुर्भाग्य से मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था। मैंने उनके भाषण को बाद में पढ़ा। जो कुछ गोआ में हो रहा है उसे पढ़कर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन हुए पुर्तगाली सरकार ने गोआ से हमारे कुछ भारतीयों को मुक्त किया है--उनमें से इस सभा के एक सदस्य भी हैं जो उन हालात में वहां की जेल में रहे हैं। वहां से कुछ भारतीय राष्ट्रजनों की वहां की जेलों से मुक्ति से ही हमें पूरा संतोष नहीं होता। मैं यह नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि हम गोआ के बारे में अपनी मांगों को कम कर रहे हैं या उस प्रश्न को स्थगित कर रहे हैं। गोआ का प्रश्न हमारे लिय अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभा हमारी नीति की आलोचना कर सकती है या उसे बदलने का विचार कर सकती है। वह अलग बात है और हम उस बात पर चर्चा कर सकते हैं। किन्तु हम सब के लिये यह मामला महत्वपूर्ण है। मैं उन माननीय सदस्यों का जो जेल से वापस आ गए हैं स्वागत करता हूं--आशा करता हूं कि और लोग भी वापस आ जायेंगे--हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हजारों गोआवासी वहां कैद हैं और उनसे बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज भी वहां तक पहुंचती है--शायद नहीं पहुंचती। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम सदैव उनका ध्यान रखते हैं--किन्तु दुर्भाग्य से हालात ऐसे हैं कि इस समस्या का हल बहुत जल्दी नहीं हो सकता। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से बंध जाता है और ऐसी उलझी हुई समस्या को इस प्रकार से हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या को एकांकी रूप नहीं दिया जा सकता--इसी कारण हमने विदेशी मामलों तथा आन्तरिक मामलों में व्यापक नीति अपनाने का यत्न किया है। मैं नहीं समझता कि उसी नीति को छोड़े बिना हम इससे अलग किस प्रकार हो सकते हैं। साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमें अपनी नीति

के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिये । मैं बुनियादी सिद्धान्तों की बात नहीं कह रहा—वह तो ठीक हैं और उनका अनुसरण किया जाना चाहिये । किन्तु गोआ के बारे में हमें अपनी नीति पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये । वास्तव में हम ऐसा ही कर रहे हैं । इसी बीच में निर्वाचन आ गये । मुझे आशा है कि अगले कुछ सप्ताह में हम उन सब लोगों से इस बात पर सलाह करेंगे जो इस सम्बन्ध में कुछ जानते हैं और अन्य लोगों से भी सलाह करेंगे । मुझे आशा है कि हम इस मामले में विरोधी दलों के सदस्यों से भी सलाह करेंगे और फिर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ।

काश्मीर सम्बन्धी दो एक बातों के बारे में भी मैं कुछ कहूंगा ।

श्री जारिंग के आने के बारे में प्रश्न थे । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है । वह अभी यहां हैं । सुरक्षा परिषद के जिस संकल्प के अनुसरण में वह यहां आए हैं—वह साधारणसा संकल्प है जो कि सभा में पर्याप्त वाद-विवाद के बाद पारित हुआ है । इसके बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं है—इसमें केवल पुराने संकल्प का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि वह वहां जाकर भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिले और उन से इस बात पर बातचीत करके १५ अप्रैल तक अपना प्रतिवेदन दें । वह पाकिस्तान जा आये हैं अब वह यहां हैं । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ।

इस के बाद पाकिस्तान में आणविक शस्त्रों के बारे में कई प्रश्न थे । इस सम्बन्ध में मेरे साथी श्री कृष्ण मेनन ने सुरक्षा में तथा मैं ने यहां कई बार कहा है । हम दोनों की बातें किसी गोपनीय जानकारी पर आधारित नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सेनापति के वक्तव्यों पर आधारित हैं । हम ने यह बात नहीं कही और न ही श्री कृष्ण मेनन ने यह बात कभी कही हम ने केवल वही बात कही है जो कि पाकिस्तान के सेनापति ने कही है—उन्होंने कहा था कि गत दिसम्बर सैनिक प्रदर्शन में आणविक शस्त्रों के अभ्यास का कार्यक्रम था और प्रदर्शन उसी दष्टिकोण से हुआ है । यह आणविक शस्त्रों के प्रयोग की तैयारी है । मैं यह नहीं कहता कि उनके पास आणविक शस्त्र हैं—मुझे कोई पता नहीं—और अमेरिका सरकार ने भो इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने किसी देश को भी आणविक हथियार नहीं दिये । हम उस बात को मानते हैं किन्तु सच्ची बात यह है कि उन हथियारों का प्रयोग हमारे लिये एक गंभीर बात है—विशेषकर इस कारण से यह बात और भी गंभीर होती है कि यह सहायता अमेरिका से आये—इससे स्थिति में बहुत अन्तर हो गया है । मेरा यह विश्वास है कि यदि विदेशी हस्तक्षेप न होता तो भारत तथा पाकिस्तान की समस्यायें सुलझने में कोई कठिनाई न होती । मैं विदेशों की आलोचना भी नहीं कर रहा—क्योंकि प्रायः उन्होंने सहानुभूति दिखाई है—किन्तु फिर भी वास्तविकता यही है कि इस प्रकार के हस्तक्षेप के कारण दो पड़ौसी देशों में आपस में समस्यायें सुलझाने में कठिनाई आई है ।

इसके बाद यह प्रश्न था कि क्या पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर का इलाका छीना है ? जी हां । उनके संविधान के अनुसार भी समस्त प्रशासित क्षेत्र पाकिस्तान का भाग है—और यह क्षेत्र भो उन्हीं द्वारा प्रशासित है—इस प्रकार बहुत समय से ही उन्होंने इस क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग समझा है । यह आश्चर्य की बात है कि इतनी चर्चा होने पर भी जम्मू तथा काश्मीर के आधे भाग के बारे में कोई निर्देश नहीं है । इस लिये छीनने का कोई प्रश्न नहीं है । यह शब्द ही गलत है । सभा को विदित है कि १९४७ में यह क्षेत्र भारत से मिला—उस समय हालात भिन्न हो सकते हैं—किन्तु साथ मिलने का तरीका उसी प्रकार से संवैधानिक एवं कानून था जो कि यहां की अन्य सैकड़ों रियासतों ने अपनाया था । हालात भिन्न अवश्य थे किन्तु रियासत तो कानूनी तौर पर साथ मिली थी । उसके बाद उसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं हुई ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गिलगित के बारे में भी प्रश्न थे—और ब्रिगेडियर घनसार सिंह की बताई हुई एक कहानी भी थी। हमें यह बात मालूम थी। विभाजन से पहले वहां के महाराज ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को वहां भेजा था। उन्होंने गिलगित उनके हवाले कर दिया था और इस ब्रिगेडियर को वहां कार्य भार सम्हालने के लिये भेजा था। जब वह गया तब वहां कई असाधारण घटनायें हुई। उसके वहां पहुंचने के बाद उसे ब्रिटिश पदाधिकारियों ने कैद कर लिया और उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि गिलगित पाकिस्तान से मिल गया है। मैं इस बात के गुणावगुण में नहीं जाता किन्तु यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है। ब्रिगेडियर घनसार सिंह को वहां पर्याप्त समय तक के लिये कैद रखा। जब वह हम से मिला तब यह बात हमें उसने बताई—अब सब को बता दिया गया है।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम से पूछा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे में काश्मीर का जो भाग है उसके बारे में भारत सरकार क्या चाहती है। अब यह बात स्पष्ट ही है कि वैधानिक रूप से तथा प्रत्येक कानूनी तरीके से सारा राज्य ही भारत से मिला था। कोई एक हिस्सा तो केवल मिला नहीं था। इसी कारण समस्त जम्म तथा काश्मीर राज्य को भारत संघ का भाग कानूनी तौर पर होना चाहिये।

इन नौ सालों में समझौता करने की दष्टि से हम ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है किन्तु उन से कई परिणाम नहीं निकला है। कई बार हम ने जो तजवीजें रखीं उन्हें वाक्बद्धता कहा जा रहा है। खैर कानूनी तौर पर वह क्षेत्र भारत से मिल चुका है।

किन्तु यह बात भी सच है कि हम ने कई बार सुरक्षा परिषद् में तथा उसके बाहर यह कह है कि हम काश्मीर समस्या को सुलझान के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। हां यदि हम पर आक्रमण किया गया तो हम बचाव जरूर करेंगे—और यदि काश्मीर पर आक्रमण किया गया तो उसे हम अपने पर आक्रमण समझेंगे। हम ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि यद्यपि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर का क्षेत्र वैधानिक रूप में हमारा है—किन्तु हम उसे दोबारा लेने के लिये युद्ध नहीं करेंगे। हम ने यह आश्वासन दे दिया है और इस पर हम चलेंगे।

श्री लंका तथा चीन के प्रधान मंत्रियों की ओर से जो सन्देश मुझे मिले उनके बारे में भी प्रश्न थे। चीन के प्रधान मंत्री श्री लंका गये थे और उन्होंने वहां संयुक्त वक्तव्य दिया था। उसी वक्तव्य में काश्मीर के बारे में भी निर्देश था कि उन्हें आशा है कि वह समस्या दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों से हो हल हो जायेगी और दूसरे देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारा मित्र देशों की यही इच्छा है। इससे और अधिक परिणाम निकला नहीं।

मैं ने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। एक और बात के बारे में भी जो शायद माननीय सदस्यों के हृदयों में है—मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी भेजे गये हैं। वह प्रश्न है भारत का कामन्वैल्थ में रहना। मैं ने इस प्रश्न पर पहले भी कई बार बहुत कुछ कहा है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य अब इस बात पर ज्यादा सोचते हैं—मुझे लिखकर तथा वैसे भी पूछते रहते हैं। मध्य पूर्व की समस्याओं पर कुछ कामन्वैल्थ देशों के आचरण के बारे में भी पूछा जाता है और इसी प्रकार से काश्मीर के बारे में भी—कुछ देश पक्ष लेते रहे हैं—और ऐसे देश का पक्ष लेते रहे हैं जिसे हम आक्रामक समझते थे—किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी हम कामन्वैल्थ में रहना पसन्द करते हैं। हम ने इस प्रश्न पर उन से बातचीत की है और मैं ने स्वतः भी इस बात पर विचार किया है—क्योंकि

यह मामला ऐसा नहीं है कि इसे जिस प्रकार मैं समझूं सुलझा लूं। हम किसी मामले को उस तरीके से नहीं सुलझा सकते। इस मामले को विचार विमर्श तथा जनता की राय से ही सुलझाया जा सकता है। कई बार लोगों की भावनाओं का अस्थायी रूप से विरोध भी करना पड़ता है क्योंकि लोग आवेश में आ जाते हैं। किन्तु अन्ततोगत्वा जनता की राय का विरोध नहीं किया जा सकता। इसलिये यह मामला गंभीर है।

मैं ने पहली बार यह महसूस किया है कि इस मामले पर और विचार किया जाना चाहिये। किन्तु इस मामले में हम किसी नाराजगी या गुस्से से कार्यवाही नहीं करना चाहते। जो घटनायें हुई हैं जिनसे हमें तकलीफ हुई है उन बातों के बावजूद भी हमारा कामन्वैल्थ में रहना ही ठीक है—क्योंकि कई कारण हैं। एक तो यह है कि उस संस्था में रहने से हमारी नीतियों तथा कामों में कोई अन्तर नहीं पड़ता—इसलिये कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम ने अपनी नीति बदली है—हां सलाह से तो दूसरी बात है। हम अन्य देशों से सलाह करते हैं उनसे सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु निर्णय हमारा अपना होता है और कामन्वैल्थ में रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरे इस समय संसार में बहुत भेदभाव है इसलिये किसी एक संस्था को रखना ही अच्छा है—हमें उसमें कोई हानि नहीं है। इसे तोड़ना भी गलत बात है। हम संसार में जो शान्तिपूर्ण संस्थायें विकसित करना चाहते हैं—यह काम उसमें हमारी सहायता नहीं करता।

इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं ने यही सोचा कि इन सब सदमों के बाद भी हमें इस संस्था को तोड़ना अच्छा नहीं होगा।

किन्तु जो निर्णय हम करें वह स्थायी ही नहीं होगा। सब प्रकार की बातें होती हैं और ऐसे मामलों को समय समय पर देखना पड़ता है। कामन्वैल्थ स्वतः परिवर्तित हो रहा है। घाना उस संस्था का सदस्य है—शायद मलाया भी नया सदस्य बने। उसके नाइजेरिया भी सदस्य बने। इस संगठन की स्थिति बदलती जा रही है और वह ठीक दिशा में ही बदल रही है। इसलिये इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए तथा देश की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखते हुए मैं सभा से सविनय निवेदन करता हूं कि इस समय कामन्वैल्थ में रहना ही वांछनीय है।

इस के बाद मेरे साथी श्री कृष्ण मेनन अन्य बातों के सम्बन्ध में बतायेंगे। जैसा कि सभा को विदित है वह न केवल सुरक्षा परिषद् में उठने वाले सभी मामलों से सम्बद्ध रहे हैं अपितु उन्होंने मिस्र सरकार से भी बातचीत की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए। प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट मिलेंगे। वाद-विवाद छः बजे समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

† **बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : लगभग ४० मिनट।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि कल प्रश्न-काल न रखा जाये और आज वाद-विवाद छः बजे तक चले।

---

† मूल अंग्रेजी में

† **श्री कामत** : सभा के शेष कार्य को समाप्त करने के लिये १५ घण्टे चाहियें--हमारे पास १८ घण्टे का समय है । बिना विभाग के मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं ।

† **संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : हमें कोई आपत्ति नहीं है--उत्तर कल दिया जा सकता है ।

† **अध्यक्ष महोदय** : जब सभा देर तक बैठती है तब गणपूर्ति नहीं रहती--खैर माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे ।

श्री कामत : मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जिसमें खेद प्रकट किया गया है कि भारतीय क्षेत्र के कुछ भाग अभी तक पाकिस्तान और गोआ के अधीन हैं।

मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर के अपने अधीन भाग को पाकिस्तान का क्षेत्र समझता है ।

संविधान के अनुच्छेद १ में कहा गया है कि जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अंग है । अतः आज उसका एक भाग हमारे संविधान के अनुसार भारत का है जबकि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पाकिस्तान का है ।

प्रधान मंत्री ने गत वर्ष के अन्तिम सत्र में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य प्रतिनिधि को वर्तमान युद्धबंदी सीमा के आधार पर जम्मू और काश्मीर का विभाजन मान लेने का सुझाव दिया था । प्रधान मंत्री ने बाद में इस वक्तव्य को सुधार दिया था । परन्तु यह सिद्ध है प्रधान मंत्री ने ऐसा सुझाव देकर एक असांविधानिक और स्वेच्छापूर्ण कार्य किया था जिस के लिए कम से कम संसद् ने भी अनुमति नहीं दी थी ।

मेरे दल ने लोक मत संग्रह द्वारा काश्मीर की समस्या के हल का विरोध किया था । परन्तु प्रधान मंत्री इसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे । अब वे इस स्थिति को समझने लगे हैं ।

पाकिस्तान ने हमारे प्रधान मंत्री द्वारा भेजे गये कुछ तार और स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार के कतिपय वक्तव्यों को प्रकाशित किया है । श्री गोपालस्वामी अय्यंगार के वक्तव्य में इस बात का उल्लेख बताया जाता है कि काश्मीर का भारत में प्रवेश अन्तिम रूप से नहीं है और वह अब भी पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है । खैर मैं आशा करता हूं कि सरकार अब एक स्पष्ट घोषणा करेगी कि वह लोकमत संग्रह के विरुद्ध है और उस के प्रतिनिधियों ने जो कुछ कहा वह गलत था और कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर के क्षेत्र को वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी ।

मैं ने यह मांग की थी कि सभा के समक्ष वक्तव्य दिया जाए कि पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध भारत के आर्थिक प्रतिबंधों का क्या लाभ हुआ है । यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी कारणवश इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध के बारे में क्रोध के भाव में विचार नहीं करना चाहिये । परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध के कारण विश्व को कतिपय समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर प्रभाव नहीं पड़ा ? क्या राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध के कारण हम साइप्रेस के बारे में मौन हैं ? मैं आशा करता था कि सरकार ने जिस प्रकार मलाया, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेशवाद के प्रश्न को महत्व दिया है वैसे साइप्रस

---

† मूल अंग्रेजी में ।

के विषय में कम से कम अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करेगी । परन्तु, ऐसा नहीं हुआ । यदि हम राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध के कारण बाधित नहीं हैं तो [illegible]ना विभाग के मंत्री बताएं कि साइप्रस के बारे में क्यों स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा गया !

मध्यपूर्व के बारे में आइज़नहावर के सिद्धान्त का प्रधान मंत्री ने जो विरोध किया है वह उचित है । मध्य पूर्व की समस्या का आंशिक कारण इसराइल का निर्माण है । भारत ने चीन को तो तुरन्त मान्यता प्रदान कर दी थी परन्तु इसराईल को लगभग तीन वर्ष तक मान्यता नहीं दी थी । भारत सरकार ने आरम्भ में इसराईल के सम्बन्ध में अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखा और अब भी जैसा कि वहां के समाजवादी दल के एक सदस्य ने मुझे बताया है, इसराईल सरकार के निवेदन पर भी उस से राजनयिक सम्बन्ध नहीं किये गये । मुझे खेद है कि इसराईल के सम्बन्ध में भारत सरकार का ऐसा दृष्टिकोण है ।

कनाडा के विदेश मंत्री श्री पियरसन ने कल कहा है कि इसराईल-गाज़ा सीमान्त का प्रशासनिक प्रभार अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन बल को नहीं दिया जा रहा और अगर प्रशासकीय कार्य उसको दिया गया तो जिस उद्देश्य से उसे मिस्र भेजा गया है वह व्यर्थ हो जायेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विषय के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेगी ।

मैं आशा करता हूं कि दूसरा पक्ष भी मेरे संशोधन का जो कि स्पष्ट है समर्थन करेगा । अन्यथा वे एक झूठी स्थिति को स्वीकार करेंगे और सारा भारत और विश्व उन पर हंसेगा ।

†**श्री रघुरामैया** (तेनालि) : मैं श्री कामत के विचार सुन कर हैरान हुआ । उन के दल ने सदा यह आलोचना की है कि सरकार दूर दूर के मामलों में फंसी हुई है और काश्मीर और गोआ के समीपस्थ मामलों में असफल हुई है, परन्तु आज अचानक श्री कामत ने विश्व भर की समस्याओं अर्थात् साइप्रेस, इसराईल आदि का उल्लेख कर दिया है । इसराईल के सम्बन्ध में संभवतः उन्हें विदित नहीं कि उसे मान्यता देने वाले सर्वप्रथम राष्ट्रों में से एक भारत है, यद्यपि वहां की स्थिति बहुत नाजुक थी ।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्वेज़ नहर की समस्या का हल ढूंढ लिया है परन्तु मध्य पूर्व की सब से बड़ी समस्या इसराईल और अरब देशों की परस्पर शत्रुता है । हम ने इतनी कठिनाई से उस क्षेत्र में मैत्री उत्पन्न की है और अब श्री कामत इस विवादास्पद मामले में फंस कर उस सद्भावना को निर्मूल करना चाहते हैं ।

मैं नहीं जानता कि श्री कामत को यह विचार कैसे आया कि हम साइप्रेस के विषय में मौन रहे हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस देश को ख्याति प्राप्त है कि यह उपनिवेशों के पक्ष में सदा आगे रहता है । वहां सभी यह समझते हैं कि यदि किसी देश की स्वतन्त्रता का पक्ष भारत की बजाय किसी अन्य देश ने लिया तो उस में अवश्य कुछ संदेहजनक बात है । घना की स्वतंत्रता सम्बन्धी संकल्प को हम ने न केवल प्रस्तुत किया वरन् उसे एक मत से पारित करवाया था । इस पर हमें गर्व है ।

गोआ के सम्बन्ध में संकल्प पारित करना और यह कहना कि सैनिक शक्ति से उस समस्या का हल किया जाए, आसान है । परन्तु भारत को, सैनिक शक्ति अथवा डालर निधि के भाव से नहीं, वरन् विश्व की समस्याओं को सुलझाने में, जो महत्वपूर्ण स्थान संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्राप्त है, उस के नाते भारत इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता । यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण कुछ उत्तरदायित्व भी हैं । यदि आप शान्ति की नीति को अपनाते रहे हैं और दूसरे देशों को युद्ध करने से रोकते रहे हैं तो अपने किसी मामले में आप अन्य नीति को नहीं अपना सकते ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रघुरामैया]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं उस ने हमें हमारे उद्देश्यों को सफलता दी है परन्तु इस सफलता का एक कारण श्री कृष्ण मेनन का व्यक्तित्व भी है। शायद गत वर्ष ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान द्वारा उन्हें संघ के हित में सब से अधिक काम करने वाला व्यक्ति प्रमाणित किया गया है।

सरकार की इस नीति से हमें बहुत लाभ हुए हैं भले ही इस समय हमारे लिए यह समझना कठिन है कि गोआ की और अन्य समस्याएं अभी क्यों हल नहीं हुईं। इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं कि हम विश्व में सद्भावना पैदा कर रहे हैं और भविष्य में यह देश महान कार्य करेगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : जब से स्वतन्त्रता मिली है प्रधान मंत्री विदेश नीति को अपने दल की निजी नीति के समान बना रहे हैं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय इसे अपनी निजी वस्तु समझता है। उन्होंने कभी विपक्षी दलों से परामर्श नहीं किया। अतः हमें विचार करना पड़ता है कि क्यों न संसद् की एक स्थायी संविहित समिति बनाई जाए जो विदेश नीति का पुनर्विलोकन करे और सरकार को परामर्श दे। कतिपय बाहर के देशों में ऐसा प्रबन्ध है।

गत कुछ वर्षों में यह दुखजनक बात रही है कि प्रधान मंत्री स्वयं अपने निश्चय से राजदूतों और विदेशों में भेजे जाने वाले अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करते रहे हैं। राजनयिक नियुक्तियों के लिए एक स्थायी समिति बननी चाहिये।

भारत और अन्य देशों के बीच हुई विभिन्न सन्धियों पर विचार करने के लिए हमें समय नहीं मिला। मैं अनुभव करता हूं कि तुरन्त संसद् की एक समिति बननी चाहिये जो उन पर चर्चा करे और उनका अनुमोदन करे।

मैं ने यह शिकायत की थी कि राजनयिक नियुक्तियों में स्थायी सेवा के लोगों को लिया जा रहा है। तब आश्वासन दिया गया था कि सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को साथ साथ लिया जाएगा। परन्तु स्थिति वैसी ही है। सरकारी लोगों का दृष्टिकोण राजनैतिक नहीं हो सकता। वे तो समस्याओं को नौकरशाही दृष्टिकोण से ही सुलझायेंगे।

प्रधान मंत्री कहते हैं कि काश्मीर की समस्या का उन्हें सब से अधिक ध्यान है। परन्तु हम सुरक्षा परिषद् में शिकायत ले कर गये थे और अब हमें वहां अपराधियों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्रसंघ समस्या के हल में रुकावट पैदा कर रहा है। कतिपय विदेशी शक्तियां भारत की निन्दा करना चाहती है और वे कठिनाइयां पैदा करती हैं। अतः क्यों न सुरक्षा परिषद् से इस मामले को वापस ले लिया जाए ? हम स्वयं पाकिस्तान के साथ वार्ता द्वारा इस का निबटारा कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री कहते हैं कि गोआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ही उन्होंने पहले कहा था और आशा है कि फिर भी कहेंगे। परन्तु इन जबानी घोषणाओं से क्या लाभ ? उन्होंने गोआ में सत्याग्रहियों को पहले तो बिना किसी निश्चय के जाने दिया और फिर उन्हें रोक दिया। अतः सत्याग्रहियों को पकड़ा गया और उन पर अत्याचार हुए। इस का उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री पर है। परन्तु गोआ की स्थिति फिर भी वही है उस में कोई सुधार नहीं हुआ।

मैं यह स्पष्ट रूप से कहता रहा हूं कि राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्ध का कोई लाभ नहीं। पिछले कुछ दिनों में इंगलैंड ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है वह अत्यन्त बुरा है। हमारी

---

† मूल अंग्रेजी में।

तटस्थता की नीति है, इस कारण भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता न्यायोचित नहीं है । राष्ट्रमंडल में रहते हुए हम केवल उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं । प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन हुआ तो हम राष्ट्रमंडल से अलग होने पर विचार करेंगे । मैं यह अनुभव करता हूं कि और प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं और इस में हमारे राष्ट्र का सम्मान है कि अभी सम्बन्ध विच्छेद कर दिये जाएं ।

काश्मीर की पारपत्र प्रणाली में संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा । कुछ लोग काश्मीर के निर्वाचन में भाग लेने के लिए जाना चाहते थे, परन्तु उन्हें पारपत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी । इस प्रणाली को कुछ उदार बनाना चाहिये ताकि दर्शकों और राजनैतिक प्रयोजनों से जाने वाले लोगों को रुकावट न हो ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया—पूर्व) : मेरे विचार में पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक रिक्ति है । वास्तविकता से आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता । अतः इस रिक्ति की समस्या को दूर करने के लिए एक ही सुझाव है कि मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों सहित, और चीन और रूस के साथ के एक फेड्रल सरकार बनाई जाए जिसका आधार समानता लोकतन्त्र और समाजवाद हो । प्रधान मंत्री पिछले २०, ३० वर्ष से कह रहे हैं कि एक विश्व फेड्रेशन बननी चाहिये । यदि मेरा सुझाव व्यर्थ है तो उन के स्वप्न के बारे में आप क्या कहेंगे ?

मैं गत छः या सात वर्ष से कह रहा हूं कि हमें चीन और रूस से सैनिक सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । सम्बन्ध और गठबंधन में अन्तर है । द्वितीय महायुद्ध में अमरीका ने रूस से सैनिक सम्बन्ध बनाया था लेकिन वह गठबन्धन नहीं था । इस सैनिक सम्बन्ध से पाकिस्तान और भारत का विवाद समाप्त हो जाएगा । मैं आत्म निर्णय के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि राष्ट्रीय राज्यों का युग बीत गया है । अब विश्व फेड्रेशन का युग है ।

मैं क्यों रूस का समर्थन करता हूं और हंगरी का समर्थन नहीं करता ? यदि रूस को हंगरी से निकाल दिया जाए तो तृतीय महायुद्ध की संभावना कम होने की बजाए और बढ़ेगी । इतिहास यह बताता है कि शक्ति फैलती है । रूस की शक्ति को यदि हंगरी में रोका गया तो वह एशिया की ओर फैलेगी । हंगरी से निकलने पर संभवतः रूस के सारे पूर्वी यूरोप से निकाल दिया जाए और फिर उसे एशिया से निकल जाने के लिए बाध्य किया जाए । इस से राजनैतिक रिक्ति पैदा होगी और इस क्षेत्र में तबाही हो जाएगी ।

रूस के एशिया से निकलने पर अमरीका से इंडोनेशिया तक एक सर्व-इसलामी राज्य बनने की भी संभावना है । एक और संभावना है कि इस से सारे एशिया और अफ्रीका पर अमरीका का प्रभुत्व पैदा हो जाए । इस से विश्व संघ के प्रयोजन में सफलता नहीं होगी ।

†**श्री भि० कु० चौधरी** (बहरामपुर) : मैं ने गोआ के बारे में जो कुछ भी कहा वह व्यक्तिगत अनुभव से कहा है क्योंकि मैं गोआ जेल में १९ महीने रह आया हूं । गोआ की जनता तथा गोआ के देशभक्तों के संबंध में उन्हों ने जो आश्वासन दिये हैं उन के लिये मैं उन का आभारी हूं । गोआ की समस्या को हल करने के लिये बल प्रयोग करना आवश्यक नहीं है लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । मैं मानता हूं कि काश्मीर की समस्या महत्वपूर्ण है पर अब काश्मीर और गोआ दोनों की समस्या एक सी ही हो गयी है क्योंकि पाकिस्तान और पुर्तगाल ने भारत का विरोध करने के लिये कुछ गठबन्धन सा कर लिया है । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री सुहरावर्दी जब वह विरोधी दल के

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[श्री भि० कु० चौधरी]

नेता थे, पाकिस्तान सरकार की ओर से गोआ और पुर्तगाल गये थे और वहां कुछ गठबन्धन कर आये थे। इसी कारण पुर्तगाल और पाकिस्तान परस्पर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।

एशिया और अफ्रीका के विद्यार्थी संगठन की बैठक में पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने गोआ के प्रश्न को उठाने का विरोध किया था। अतः हमें गोआ के प्रश्न को काश्मीर के प्रश्न के सामने छोटा नहीं समझना चाहिये।

समुद्र पार देशों में स्थित हमारे राजनयिक मिशनों में जो सूचना तथा प्रसारण विभाग है वह कुछ भी नहीं कर रहा है। हमें संसार के लोकमत के सामने गोआ के बारे में तथ्य रखने चाहियें। ब्रिटेन तथा अमरीका में हमारा समर्थन करने के लिये काफी लोकमत तैयार है। मैं श्री कृष्ण मेनन से पूछता हूं कि उन्हों ने इस प्रश्न के बारे में उन्हों ने अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रयोग क्यों नहीं किया। गोआ की जनता आपकी ओर बड़ी आशा ले कर देख रही है। गोआ जेल की यातनाओं के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि गोआ के राजनैतिक लोग गोआ के जल में जो कष्ट उठा रहे हैं वह कष्ट उस से ज्यादा है जो भारत की जेलों में भारतीयों ने उठाए थे। यदि हम ठीक प्रकार के विश्व लोकमत के सामने अपना मामला पेश कर सकें तो आज हमें संसार का समर्थन प्राप्त हो सकता है। अभी तक इस समस्या के संबंध में केवल तीन अर्ध सरकारी प्रकाशन निकले हैं। क्या यह एक ऐसा मामला है जिस की हम अवहेलना करें।

मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाता कि उस ने कुछ नहीं किया। गोआ की समस्या सुलझाने के लिये सैनिक या पुलिस कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य और भी उपाय हो सकते हैं। हम ने गोआ पर जो आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये हैं उनसे गोआ को कोई हानि नहीं है। गोआ की ३० या ४० हजार जनता भारत में रहने वालों की आय पर निर्भर हैं उन जनसंख्या को कठिनाई बढ़ गई है। गोआ एक ऐसा पत्तन है जहां सभी चीजें सस्ती मिल जाती हैं। शेष चीजें वे अदन से मंगवा लेते हैं अतः आर्थिक प्रतिबन्धों का प्रभाव गोआ पर कुछ भी नहीं पड़ा है। अतः हमें यह नहीं कहना चाहिये कि गोआ की समस्या समय आने पर अपने आप सुलझ जायगी। हमें उन ३०० राजनैतिक बन्दियों को नहीं भूलना चाहिये जो गोआ की जेल में पड़े हैं। हमें नहीं भूलना चाहिये कि लगभग २२ व्यक्तियों को, जो भारतीय नागरिक थे, मार कर उनकी लाशें जला दी गयीं।

मैं सभा तथा देश से पुनः अपील करता हूं कि गोआ के लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है अब हमें अपने गोआ के भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिये।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : जहां तक राष्ट्र संघ या अन्य देशों में काश्मीर तथा गोआ के बारे में हमारे दृष्टिकोण के प्रचार का संबंध है, यह ठीक है कि उचित प्रचार नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं श्री भि० कु० चौधरी से सहमत हूं। बाहर के लोगों से मिलने पर या भारत से बाहर गये व्यक्तियों की बातों से पता लगता है कि उन देशों ने लोगों को हमारे दृष्टिकोण के बारे में ठीक ज्ञान नहीं है। इस संबंध में हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिय। हमारे दृष्टिकोण का ठीक ठीक प्रचार बाहर नहीं हो पाया है या वहां के लोग हमारे दृष्टिकोण को ठीक समझ नहीं पाये इस का कारण हमारी सामाजिक परम्परा है क्योंकि हमें विदेशी पत्रकारों तथा अन्य विदेशियों से भी यही पता लगा है कि हमारे संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही हम लोगों को अपना दृष्टिकोण समझा नहीं पाये। अतः भारत के बाहर प्रचार करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये।

विरोधी दल के सदस्यों ने एक और आरोप लगाया है कि हम अपने निकटवर्ती देशों की ओर कम ध्यान देते हैं और दूर के देशों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना आवश्यक है

---

† मूल अंग्रेजी में।

क्योंकि हमारी वैदेशिक नीति ऐसी ही है और बिना इस के हम अपने देश की तथा जनता की उन्नति नहीं कर सकते। यह कहना गलत है कि हम कोरिया, इन्डोचीन, मिस्र या हंगरी की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं। मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने न जाने क्या क्या कहा कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि रूस हंगरी से अपनी सेना हटाए, अमरीका हमारा शत्रु है, हमें सैनिक संधियां करनी चाहिए आदि। हमें किसी भी देश से सैनिक संधि नहीं करनी है बल्कि सभी देशों से सहयोग प्राप्त करना है मित्रता बढ़ानी है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामले या घरेलू मामले में, किसी भी मामले में, किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। हमें सभी तरह से सभी देशों की चुनौती का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। अतः मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति प्रशासनीय है। विदेशियों ने भी उस की प्रशंसा तथा उस का अनुकरण किया है।

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने कहा कि यह नीति किसी दल की नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति है अतः इस को निश्चित करने में विरोधी दल की भी राय ली जानी चाहिये। मेरा विचार है कि हमारी विदेशी नीति को निश्चित करने का काम हमारे प्रधान का ही है चाहे वह किसी दल का सदस्य हो। यदि कल विरोधी दल का प्रधान मंत्री भारत का प्रधान मंत्री होगा तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। रही परामर्श लेने की बात सो परामर्श तो लिया जाता है। प्रधान मंत्री ने इस के लिये विरोधी दल के सुझाव पर एक समिति भी बना दी है।

मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया कि राजदूतों तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये एक स्थायी संविहित समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैं इस से सहमत हूं कि कोई समिति होनी चाहिये जो प्रधान मंत्री को इस काम में सहायता दे। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा के लोगों के व्यवहार से भी लोगों को राजदूत नियुक्त किया जाना चाहिये। मैं उन की बात से सहमत हूं। बाहर के लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रमंडल के साथ हमारे जो संबंध हैं उन के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें उन पर पुनः विचार करना चाहिये। उन का मत है कि राष्ट्रमंडल के साथ हमें इसी प्रकार के संबंध आगे के रखने चाहियें। उन्हों ने बताया कि नये नये देश राष्ट्रमंडल के सदस्य बन रहे हैं अतः हमें भी उस का सदस्य बना रहना चाहिये। पर काश्मीर तथा स्वेज के संबंध में राष्ट्रसंघ में जो कुछ भी हुआ है उस से लोगों की धारणा राष्ट्रमंडल के संबंध में बदल गयी है। भारत का व्यवहार ब्रिटेन के प्रति सदा अच्छा रहा है पर ब्रिटन का रुख उन प्रश्नों के बारे में ठीक नहीं रहा है। अतः यदि ब्रिटेन के प्रति हमें शिकायत है तो ठीक बात है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह हमारे राष्ट्रमंडलीय संबंधों पर फिर से विचार करें। हमें अपने प्रधान मंत्री की सराहना करनी चाहिये कि उन्हों ने बड़ी सफलता से हमारे देश की वैदेशिक नीति को चलाया। हमें श्री कृष्णा मेनन की भी सराहना करनी चाहिये कि उन्हों न राष्ट्र संघ में हमारे काश्मीर के प्रश्न के संबंध में हमारा दृष्टिकोण ठीक प्रकार उपस्थित किया। मैं आशा करता हूं कि सभा भी हमारे साथ इस बात का समर्थन करेगी।

†**डा० लक्ष्मण सिंह चाड़क** (जम्मू तथा काश्मीर) : हम स्वतन्त्रता बाद से अब तक की वैदेशिक नीति की चर्चा कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हम उच्च नैतिक सिद्धान्तों की नीति का पालन करेंगे अर्थात् किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। पाश्चात्य संसार को हमारी नीति कुछ अजीब सी लगी। हमारी नीति बनाने वाले यानी हमारे प्रधान मंत्री की धारणा है कि युद्ध से मानवता नष्ट हो जायगी दूसरे महायुद्ध में हीरोशिमा तथा नागासाकी की दशा देख कर भी संसार अब भी हमारी नीति को नहीं पहचान सका। हमारे देश ने सम्राट अशोक की नीति का अनुसरण किया। हमने इस बात की कोशिश की कि संसार को हमारी नीति के संबंध में जो गलतफहमी है

---

† मूल अंग्रेजी में।

[डा० लक्ष्मण सिंह चाड़क]

वह किसी तरह दूर हो जाय। कोरिया युद्ध में हमारी सेनायें शान्तिपूर्व कार्यों के लिये गयीं। संसार हमारे इस काम की हमेशा प्रशंसा करेगा और हमेशा याद रखेगा। लाओस और कम्बोडिया से भी हमारे देश के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

१९५६ में मिस्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फ्रांस तथा ब्रिटेन ने इस का विरोध किया। इसराइल ने मिस्र की सीमा पर झगड़ा शुरू कर दिया और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने खुल्लम-खुल्ला मिस्र पर चढ़ाई कर दी। सभी लोगों ने इस आक्रमण का विरोध किया और क्यूबा, भारत तथा अमरीका ने सुरक्षा परिषद् में इस आक्रमण को रोकने के लिये एक संकल्प पेश कर दिया। भारत तो झगड़ा बन्द करना चाहता था पर ब्रिटेन ने इस बात का बड़ा गलत मतलब समझा और वहां के अनुदार दल ने यहां तक कहा कि भारत को इस का बदला दिया जाना चाहिये और काश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन को पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिये पाकिस्तान ने 'जेहाद' की भी धमकी दी। और वहां के विदेश मंत्री श्री फिरोज खां नून ने भारत पर तरह तरह के आरोप लगाये और बगदाद संधि के अन्य साथियों की सहायता से उन्होंने सुरक्षा परिषद में एक आवेदन पत्र दे कर एक संकल्प स्वीकार करवा लिया कि जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा का निर्णय अन्तिम न समझा जायें। अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी हालांकि उस ने भारत से यह भी वादा किया कि वह सहायता भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जायगी। पर इस से शक्ति का सन्तुलन बिगड़ गया। पाकिस्तान ने कई बार कहा कि भारत से अपनी रक्षा करने के लिये हम बगदाद संधि में सम्मिलित हो गये हैं। पर हमारे प्रधान मंत्री प्रायः यही कहते रहे हैं कि इस प्रकार की संधियों से स्थिति में सुधार नहीं होता बल्कि तनाव बढ़ता जाता हैं।

जब काश्मीर संबंधी सकल्प सुरक्षा परिषद् में चल रहा था तो फिरोज खां नून ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों के सामने कुछ इस प्रकार चीजों को रखा जैसे जम्मू तथा काश्मीर में कोई नई बात होने जा रही हो। भारत ने १९४८ में सुरक्षा परिषद् में यह मामला पेश कर दिया था कि काश्मीर १९४७ से भारत में मिल गया है और पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया है। २६ अक्तूबर, १९४७ को प्रवेश लिखत पर वहां के महाराजा ने हस्ताक्षर कर दिया था। २९ जनवरी १९५७ को वहां की संविधान सभा संविधान बनाने के बाद भंग हो गयी। १९५१ के सामान्य निर्वाचन में वहां की नेशनल कांफ्रेन्स को बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ था। अब वहां राज्य के नये संविधान के आधार पर नये निर्वाचन हो रहे हैं। नेशनल कांन्फ्रेन्स को स्पष्ट बहुमत अब भी प्राप्त होगा। काश्मीर राज्य की जनता खुश हाल है पर पाकिस्तान हाथ में काश्मीर का जो भाग है "आजाद काश्मीर" उस की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत तो केवल यह चाहता है कि सुरक्षा-परिषद् काश्मीर के उस भाग को भी स्वतन्त्र करा दे जो पाकिस्तान के हाथों में चला गया है। पाकिस्तान तथा आजाद काश्मीर रेडियो अब भी भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। भारत पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। अब काश्मीर के लोग तथा डोगरा लोग नेशनल कान्फ्रेन्स तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संगठित हो गये हैं और यदि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर पर आक्रमण करने की गलती की तो हम अपनी भूमि की रक्षा के लिये संगठित हो कर उस का सामना करेंगे।

श्री गुरुपादस्वामी ने काश्मीर जाने के लिये अनुज्ञा प्रणाली का जिक्र किया। वास्तव में यह प्रणाली तभी तक है जब तक इस की आवश्यकता है। जब तक युद्ध विराम रेखा है, जो प्राकृतिक रेखा नहीं है वैसे ही बनाई गई है, तब तक अवांछित व्यक्तियों को काश्मीर में जाने से रोकने के लिये यह प्रणाली लागू की गयी है। फिर भी, सामान्यतया वहां जाने के लिये किसी को मना नहीं किया जाता। अनुज्ञा आसानी से मिल जाती है। गत वर्ष ग्रीष्म ऋतु में ५०,००० व्यक्तियों ने वहां का भ्रमण किया। अतः किसी भी व्यक्ति को वहां जाने में कोई रुकावट नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** । (चित्तौड़) : सभापति महोदय, हमारी विदेशी नीति का दिवाला तो उस दिन निकल गया जब सुरक्षा परिषद् में काश्मीर संबंधी पाकिस्तान के संकल्प पर पाकिस्तान के पक्ष में १० मत तथा हमारे पक्ष में एक भी मत नहीं था। मैं ने माना कि हमें सैनिक कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, हम शान्तिपूर्ण ढंग से काम चाहते हैं पर हमें बहुत कुछ सीखना है। पाकिस्तान ने हम पर झूठा आरोप लगाया है। आज फिरोज खां नून नागा पहाड़ियों की बात कहते हैं। पर हमारे पास यह भी साहस नहीं है कि हम सत्यता तथा तथ्य को संसार के सामने रख सकें। हम तो केवल अपनी रक्षा करना चाहते हैं। पर जिस की लाठी उस की भेंस की कहावत बहुत ठीक है। हम पाकिस्तान को आक्रमण सिद्ध करने के लिये सुरक्षा परिषद् में गये थे पर हम उसे अब तक भी सिद्ध नहीं कर पाये। बल्कि उल्टे हमें ही गलती पर ठहराया गया। आज पाकिस्तान जनमत संग्रह की बात करता है। हमें उस से कहना चाहिये कि क्या भारत में इस बात का जनमत संग्रह किया गया था कि पाकिस्तान भारत के साथ रहे या नहीं। क्या करांची में जनमत संग्रह किया गया था जब कि वहां पर ६० प्रतिशत हिन्दू थे। यह सब पुरानी बातें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिये अब तो हमें देखना है कि काश्मीर की जनता क्या कहती है। काश्मीर की जनता ने भारत के साथ मिलने का निर्णय किया था कर लिया है। जब एक बार वहां की जनता के प्रतिनिधियों ने निर्णय कर लिया तो जनमत संग्रह की क्या आवश्यकता शेष है। हमें साफ कहना चाहिये कि अब जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी नीति के कारण ही हमारे दोस्त भी छूट गये हैं। जब हम अपने मामले को ठीक तरह से लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते तो ईश्वर ही हमारा मालिक है।

गोआ की बात लीजिये। प्रधान मंत्री ने कहा था कि गोआ की समस्या पर विचार कर के कुछ कदम उठाया जायेगा आज १० वर्ष हो गये कुछ भी नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं किया जायेगा। आज पुर्तगाल गोआ को अपने राज्य का एक अंग मानता है पर सभी दृष्टियों से, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सत्य रूप में, वह भारत का अंग है। गोआ के निवासी भारतीय नागरिक हैं हम उन को नौकरी आदि में वह सभी सुविधायें देते हैं जो भारतीयों को देते है हां हम उनको रक्षा की सहायता नहीं देते। यदि हम चाहें तो एक घण्टे में पुर्तगालियों को गोआ से भगा दें। हम गोआ की जेलों में अपने साथियों को कब तक सड़ने दें ? हम सत्याग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं। पर क्या गोआ की सरकार इतनी सभ्य है कि उस पर सत्याग्रह का प्रभाव पड़ेगा। उन्हें तो मार पीट कर बाहर भगा दिया जाना चाहिये। जब मिस्र रातों रात नहर का राष्ट्रीयकरण कर सकता है और जब हम हैदराबाद की समस्या में इतना कर सके तो क्या गोआ की समस्या में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम स्थिति को पाकिस्तान के पक्ष में होने दे रहे हैं। और पाकस्तान उस का पूरा पूरा लाभ उठा रहा है।

हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा आक्रमण की बात काल्पनिक है। हम सब कुछ जान बूझ कर भी सत्यता से आंखें क्यों मूंद रहे हैं। हम नुकसान उठा रहे हैं।

जो कुछ विभाजन के समय पाकिस्तान में हुआ था, वही, अब हो रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हमारे प्रधान मंत्री से अच्छा मित्र सारे संसार में कोई नहीं । और उसी महानुभाव के विरुद्ध वहां शोरगुल हो रहा है। गोआ और पुर्तगाल की पीठ ठोकने वाला भी पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई नहीं। काश्मीर और गोआ के प्रश्न को मिलाया जा रहा है। हमें भारत के विरुद्ध किसी की बात भी सहन नहीं करनी चाहिये ।

इस समय संसार में रूस और अमरीका दो शक्तियां हैं, दोनों बड़ी शक्तियां हैं। छोटे छोटे राष्ट्र भयभीत हो रहे हैं। और अणु युद्ध का भय सब से बड़ा भय है। अब हमें भी बड़ी शक्ति समझा

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

जा रहा है। ठीक है हमारे पास बड़ी सेना और अणु शस्त्र नहीं, परन्तु फिर भी यदि जरूरत हुई तो लाखों लोग देश पर बलिदान होने को तैयार होंगे। मानवीय ढंग का भी तो बड़ा प्रभाव होता है। हम न किसी से अन्याय करते हैं और न हम अपने देश के विरुद्ध अन्याय सहन कर सकते हैं।

[1]**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : मैं ने कई बार कहा है कि अपनी विदेशी नीति की आधारभूत बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हम शांति चाहते हैं और उपनवेशवाद के विरुद्ध हैं। रूस और अमरीका में जो शीत युद्ध चल रहा है, हम उस में किसी के पक्ष में नहीं हैं। कई बार प्रधान मंत्री ने कहा है कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती। इस का कहीं भी प्रतिरोध नहीं हो सकता। परन्तु साथ ही वास्तविक समस्या इस से हल नहीं हो सकती। भारत-पाकिस्तान को ही ले लीजिये। काश्मीर के मामले पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे, तो यह तो ठीक है कि भारत अपनी रक्षा कर सकेगा परन्तु युद्ध तो होगा ही। यह भी नहीं कहा जा सकता कि युद्ध से कोई प्रश्न हल नहीं होगा। यह बात नहीं है, प्रश्न हल होगा, और बहुत बड़ा प्रश्न हल होगा। इस का नतीजा यह होगा कि हम पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे खदेड़ दें और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में सफल होंगे।

आज के संसार में यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती। यह होता है कि इस से नई समस्यायें अवश्य उत्पन्न हो जाती हैं। यह तो महात्मा गांधी भी कह सकते थे कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं क्योंकि उन के पास इस का हल था। हमारे पास उस का कोई हल नहीं। कल्पना की बातें करने से कुछ नहीं होता यदि हम ने अपनी विदेश नीति के आधार इन कल्पनात्मकसिद्धान्तों पर ही रखा, तो इस से कुछ लाभ नहीं होगा। नहीं तो हमारे जैसे तटस्थ, शांति प्रिय और शीत युद्ध से कोसों दूर रहने वाले देश की सर्वत्र सराहना होनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यूरोप में भी तटस्थ राष्ट्र हैं, कोई उन्हें गलता नहीं समझता, कोई उन का शत्रु नहीं। हम शांति और निशस्त्रीकरण के पक्षपाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मित्र कहते हैं कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। परन्तु समय आने पर उस का परिणाम कुछ नहीं निकलता।

गोआ और काश्मीर के मामले में हम किसी को अपना मित्र नहीं बना सकें। यदि दो देश शांतिपूर्ण, पक्षपातविहीन और उत्तम भावना रखते हैं तो हमारे विरुद्ध यह विपरीत वातावरण क्यों है?

मेरे विचार में, हमें कुछ गर्व हो गया है कि शायद शांति चाहने और लाने वाले हम ही हैं। सभी राष्ट्र ऐसा चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थिति यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के पीछे यही एक भावना काम करती है। लोग गांधी, जवाहर, बुद्ध तथा ईसा के सदृश तो हैं नहीं कि इस भूमि पर शांति स्थापित करेंगे। उन के विचार में यदि उनके हित सुरक्षित हैं तो यह काफी है।

इस दृष्टिकोण से ही वे संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर सैनिक समझौते करते हैं। हम इस के विरुद्ध घोषणाय करते हैं। मेरा विचार है कि हमें इस मामले में चुप रहना चाहिये। क्योंकि यूरोप और ऐशिया के जो भी राष्ट्र इस प्रकार के समझौते करते हैं, सचेत और आंखें खोल कर करते हैं, और उसमें उन को अपना हित दिखाई देता है। हमारा इतना कह देना काफी है कि सैनिक समझौते संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी पक्षपात से ऊपर नहीं उठ सकता। हम अपनी स्थिति

---

[1] मूल अंग्रेजी में।

प्रकट कर चुके हैं हमें उस की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये। हवाई सिद्धान्तों के पीछे पड़ कर अभी तक हम अपने हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हुए।

हमारी कूटनीति सभी स्थानों पर असफल रही है। मैं यह नहीं कहता कि काश्मीर और गोआ के मामले में हमारा पक्ष गलत है। परन्तु सफल नीति तो वह है कि हम संसार के राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण से सहमत करा सकें। कम से कम जो किसी भी पक्ष के न हो उन पर तो हमारे दृष्टिकोण का कुछ प्रभाव हो और वे सत्य बात को देख सकें। मेरा विचार है कि ऐसा नहीं हो सका। एक बार एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने कहा कि इंगलैंड के मित्र नहीं, हित होते हैं, परन्तु खेद है कि हमें अपने हितों का भी ध्यान नहीं बावजूद इसके कि हमारे हृदय में सब के लिये सद्भावना है।

एक बात यह भी है कि अन्य राष्ट्र अपनी सद्भावना और शांति के सिद्धान्तों का इतना शोर क्यों नहीं करते? उन की कथनी और करनी में इतना अन्तर क्यों होता है, क्योंकि वह अपने सामान्य सिद्धान्तों का बार बार प्रचार नहीं करते। जब हम बहुत शोर करते हैं तो वे हमें दम्भी समझते हैं। उदाहरण के लिये आप देखिये कि अमरीका ने फ्रांस और इंगलैंड द्वारा मिश्र पर किये आक्रमण का समर्थन नहीं किया। ऐसा कर के उस ने पश्चिमी ऐशिया में इंगलैंड जैसी स्थिति प्राप्त करनी चाही। इंगलैंड ने मिस्र पर हमला कर के मूर्खता की और लोकतन्त्र, को हानि पहुंचाई। परन्तु इंगलैंड का आधा देश और सारा लेबर दल इस के विरुद्ध था। इस के पश्चात् उस ने अफ्रीका के एक उपनिवेश को स्वतन्त्र किया। यह ठीक ही है कि हम ने मिस्र का साथ देकर अच्छा किया, परन्तु मिस्र ने स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की अवहेलना कर रखी है और इस ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। उस ने युद्ध की स्थिति भी समाप्त नहीं की। इस के विपरीत उस ने अरब राष्ट्रों को मान्यता दी है। यह ठीक है कि फिलस्तीन में इजराइल की स्थापना बहुत बड़ा अन्याय था और इस के विरुद्ध स्वयं गांधीं जी ने १९४६ में कहा था, परन्तु अब उस के अस्तित्व से इन्कार करना मूर्खता है।

राष्ट्रों की प्रवृत्ति हैं कि वह कुछ न कुछ छिपाते हैं और काश्मीर के मामले म हमारे लिये भी लोग शायद ऐसा ही समझते हैं। इसलिये काश्मीर के सम्बन्ध में जो कुछ जोर जोर से कहते हैं उससे वह सन्तुष्ट नहीं हो पाते। पश्चिमी राष्ट्र हमारे विरुद्ध हैं। परन्तु वे हमारे विरुद्ध कोई षड़यन्त्र रच रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं। हमारी अपनी घोषणायें ही भ्रम पैदा कर रही हैं।

काश्मीर के मामले पर हमने भूल की, एक बार हमने कहा था कि काश्मीर समस्या लोक मत से हल की जायेगी और आज यह कह रहे हैं कि काश्मीर हमारा अंग है। हमारे यहां क्या हालत है? हमारे दो प्रधान मंत्री हैं। एक श्री जवाहरलाल और दूसरा बख्शी गुलाम मुहम्मद। कोई ऐसा देश है जहां दो प्रधान मंत्री और दो संविधान हों।

†**श्री कृष्ण मेनन** : आस्ट्रेलिया में ७ प्रधान मंत्री हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : ठीक है, पर वे सब प्रधान मंत्री हैं, परन्तु हमारे यहां बाकी मुख्य मंत्री हैं। काश्मीर के मामले में यह अन्तर तो हमने स्वयं ही बनाया है। मेरा कहना है कि आप दो प्रधान मंत्रियों का औचित्य चाहे सिद्ध कर दें परन्तु विदेशी भी तो अपना मत रखते हैं। वह यदि इससे कोई दाल में काला समझ जायें तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमने कहा कि लोकमत का कोई प्रश्न ही नहीं तो प्रधान मंत्री ने कहा है कि और वहां संविधान सभा बन जाने पर भी वह ऐसा कहते रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[आचार्य कृपालानी]

अब कहा गया है कि भारत से विलय पूर्ण हो चुका और काश्मीर भारत का अंग है । यदि सचमुच सब कुछ पूर्ण हो चुका तो संयुक्त राष्ट्र क्या पूर्ण कर रहा है। मामला वहां गया, युद्ध विराम हुआ । क्या कारण थे कुछ समझ नहीं आया । लार्ड माऊंटबेटन उसके लिये उत्तरदायी थे । क्या अपने देश का अंग विदेशियों के हाथ छोड़ कर कोई युद्ध विराम करना है ?

बड़ी विचित्र स्थिति है । और यदि विदेशी यह बात न समझे तो उनका दोष नहीं । आशा है कि बिना विभाग के मंत्री हमें बता देंगे कि यह युद्ध विराम क्यों हुआ । वह और हमारी सरकार किस पर भरोसा कर रहे थे । चाहे वह उस समय मंत्री नहीं थे । परन्तु फाइलों से वे सूचना तो दे ही सकते हैं ।

इस पर भी मेरा विचार है कि लोकमत से भी पाकिस्तान को लाभ नहीं होगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार देश का एक भाग लोकमत से अन्य देश के पक्ष में निर्णय नहीं कर सकता । वह भाग अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है और यदि वे इच्छायें पूर्ण नहीं की जातीं तो क्रान्ति हो जाती है। लोकमत से कोई निर्णय नहीं होता । लोकमत पाकिस्तान के पक्ष में भी हो जाये तो हमें कोई हानि नहीं है ।

हमारे बिना विभाग के मंत्री महोदय की आजकल सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, परन्तु मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि किसी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया सात घंटे का भाषण, राजनीतिज्ञों के समक्ष प्रचार का साधन नहीं बन सकता । यदि आप एक और डेढ़ घंटे में अपना मामला प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो बात आप के विरुद्ध जाती है । अच्छा मामला वही होता है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाये । यदि कोई व्यक्ति इस सदन में तीन घंटे बोले तो सदन खाली हो जायेगा । यह हम सब का अनुभव है । बहुत अच्छा वक्ता भी सात घंटे मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकता । प्रचार की दृष्टि से यदि मामले को संक्षेप से कहा जाता तो अच्छा था । मुझे विश्वास है कि प्रशंसात्मक वातावरण में वह मेरी इस आलोचना का बुरा नहीं मानेंगे ।

विदेशी मामलों में चतुरता के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तिभाव भी होना चाहिये ।

एक बात फिर कहता हूं कि विरोधी पक्ष से परामर्श लिया जाये या न लिया जाये, विदेशी मामले में हम सरकार के साथ हैं । क्योंकि विदेशी नीति के मामले में राष्ट्र को एक होना चाहिये । घर में चाहे मतभेद हो परन्तु देश की स्वतन्त्रता और सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है कि विदेश नीति में एक मत हो । पदासीन दल को भी चाहिये कि वह इस मामले में विरोधी दलों को भी अपने विश्वास में ले ताकि वे पूर्ण जानकारी से उनकी नीति के पक्ष में बोल सकें । इस मामले में किस दल और व्यक्ति से परामर्श करना चाहिये, इसका निर्णय स्वयं प्रधान मंत्री कर सकते हैं । विदेश नीति दलगत नहीं, राष्ट्रीय होनी चाहिये ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शोचनीय है, किसी भी समय कुछ हो सकता है । वित्त मंत्री ने आर्थिक संकट की ओर भी इशारा किया है । इसलिये विदेशी मामलों में काफी सहयोग और विचार विमर्श होता रहना चहिये ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): श्री कृपालानी ने मुख्यतया दो बातें कही हैं, एक तो उन्होंने यह कहा है कि कभी-कभी युद्ध द्वारा भी समस्यायें सुलझाई जाती हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वे माहात्मा गांधी के बड़े अच्छे शिष्य हैं फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही । यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो दोनों देशों को बहुत हानि उठानी पड़ेगी । हम और यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा बताई गयी वैदेशिक नीति के पोषक हैं, हम सदैव सत्यता

---

†मूल अंग्रेजी में ।

और न्याय के लिये आगे बढ़ेंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे । यदि हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया जायेगा और पाकिस्तान जबर्दस्ती हम पर चढ़ाई करेगा तो हम उसका सामना भी करेंगे ।

मुस्लिम लीग की यह पुरानी निति ब्रिटिश युग से ही रही है कि वह तरह-तरह की मांगें हमारे सामने रखते आये हैं । अमरीका ने पाकिस्तान को युद्ध की सामग्री दी और यह कहा कि हम अमरीका को रूस का सामना करने के लिये तैयार कर रहे हैं, पर यह बहुत खतरनाक बात है । ब्रिटिश में भी तरह तरह के औजार, हथियार तैयार हो रहे हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा । आणविक औजारों के सम्बन्ध में अमरीका और ब्रिटेन की भी सांठ-गांठ हो रही है । मैं प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकिषत करना चाहता हूं क्योंकि हमारा शत्रु यदि आक्रमण कर देगा तो हमारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब हो जायेगी । हां, तो मैं कह रहा था कि हम, यदि हम पर आक्रमण हुआ तो, शत्रु को देश से मार निकालेंगे ।

हमारे सामने पाकिस्तान का भी खतरा है । मिस्टर जिन्ना के जमाने में उन्होंने १४ मांगें रखी थीं और उनकी मांगें लगभग हमेशा ही बढ़ती गयीं । यदि पाकिस्तान का प्रश्न हल भी हो जायेगा तो क्या पाकिस्तान की मांगें बन्द हो जायेंगी । वह गलियारे की मांग करेंगे । पर हम अन्त तक उनका मुकाबला करेंगे । हम गलियारा नहीं बनने देंगे । यदि आज पूर्वी पाकिस्तान हमसे मिलना भी चाहेगा तो हम तब तक उसे अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तान यह न कह दे कि हम पूर्वी पास्कितान को अपने राज्य में मिला लें । पर ब्रिटेन और अमरीका ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे । उन्हें जो आज़ादी मिली है वह कांग्रेस के लोगों की बदौलत ही मिली है, उन्हें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा ।

मैं श्री कृष्ण मेनन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । मैंने एक बार लगभग पन्द्रह महीने पहले इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स की एक बैठक में श्री कृष्ण मेनन से काश्मीर के सम्बन्ध में उनके विचार सुने । उन्होंने इतने धारा प्रवाह और जोरदार शब्दों में विश्वास के साथ भाषण दिया कि सभी लोग उनसे प्रभावित हो गये थे । जिस ढंग से उन्होंने काश्मीर के मामले की व्याख्या की उससे मैं दंग रह गया और मैंने उनसे कहा कि काश्मीर के बारे में भारत के पक्ष में आप सबसे बढ़िया प्रचार कर सकते हैं । वहां बात आज सच्ची हुई है । संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको काफी विजय मिली है ।

जब पोलैण्ड के प्रधान मंत्री यहां आये तब जिन व्यक्तियों को देखकर अधिक हर्षध्वनि की गई उनमें श्री कृष्ण मेनन भी थे । आज सारे देश में उनके लिये सम्मान और आदर की भावना है । श्री मेनन ने भारत के लिये बहुत कुछ कर दिखाया है ।

श्री सिल्विन लायड ने यहां अपने एक भाषण में कहा था कि बगदाद सन्धि रूस के विरुद्ध बनाई गई है तथा भारत के विरुद्ध नहीं । परन्तु अब हमें यह दिखाई देता है कि अमेरिका, तुर्की, इराक, ईरान तथा पाकिस्तान को रेलवे द्वारा मिलाने की योजना बना रहा है । इस प्रकार यह भागअकारा से कराची तक जो कि हमारी सीमा के निकट है बनाया जा रहा है । मेरा विचार है कि इस प्रकार तुर्की आदि को रूस के विरुद्ध भड़काया जा रहा है । हमको अरबों को अपना मित्र बनाना चाहिये तथा वहां अपने लोगों को भेजना चाहिये ताकि वे हमारे मित्र बने रहें ।

[श्री जोकीम आल्वा]

मैं अब लैटिन अमेरिका के देशों के बारे में कुछ कहूंगा। मेरा सुझाव है कि हमारे प्रधान मंत्री को लैटिन अमेरिका का दौरा करना चाहिये। वहां स्पैनिश भाषा बोली जाती है तथा स्पेन के निवासी हमारे मित्र हैं। और इस प्रकार हमें अपने मित्र देशों में पर्याप्त प्रचार करना चाहिये कि गोवा हमारा है। स्पेन हमें गोआ दिलाना चाहता है क्योंकि उसको जिबराल्टर लेना है। हमें गोआ के बारे में, जो कुछ संभव हो, करना चाहिये, परन्तु युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिये।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव): मैं प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले आपके समक्ष एक शिकायत करता हूं, वह यह है कि तीन दिन पूर्व मैंने हिन्दी में ग्रामीण आवास पर भाषण दिया था और इसीलिये संभवतः मेरे मित्र श्री अशोक मेहता और श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने उसको ग़लत समझा। मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया परन्तु जब समाचारपत्रों ने भी मेरी बात को नहीं समझा तो मुझे आपसे शिकायत करनी है। आज इसीलिये मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में भाषण देता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप समाचार पत्रों को चेतावनी दें कि वह सभा की कार्यवाही ठीक ठीक दिया करें।

अब मैं प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस बार पर एक संशोधन रखा है तथा कल से कई वक्ताओं को सुना भी है। आचार्य कृपालानी ने कहा कि हमारी सभी नीतियां ठीक हैं परन्तु फिर सुरक्षा परिषद् में हमारा कोई मित्र क्यों नहीं था। मैं चाहता था कि कम से कम एक सदस्य तो यह बताता कि आखिर हमारी क्या ग़लती है जिसके कारण हमको यह भुगतना पड़ रहा है। आचार्य कृपालानी को केवल एक ग़लती मालूम हुई कि हमारा प्रतिनिधि सात घंटे तक बोला। मैं भी उनसे सहमत हूं कि अधिक समय तक बोलने से सदस्य गण उकता जाते हैं। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थिति कुछ और है। वहां लोग अपना मामला समझाने के लिये देर तक बोलते रहते हैं। हमारे मामले में उन्होंने औचित्य के आधार पर विचार नहीं किया। मामले पर विचार होने से पहले ही उन्होंने संकल्प बना लिया था। आचार्य कृपालानी ने भी यही कहा था कि हमारे इस मामले से सम्बन्धित तथ्य बड़े ही पेचीदा थे। पहले तो हम जनमत संग्रह करने के पक्ष में थे फिर हमने उसे त्याग दिया और हम कहने लगे कि जिस भाग को अभी तक आक्रमणकारियों ने नहीं लिया है उसमें युद्ध-विराम होना चाहिये। इन्हीं पेचीदगियों के कारण, माननीय मंत्री को इस पर अधिक समय तक बोलना पड़ा। श्री कृष्ण मेनन ने इसे बड़ी खूबी के साथ पेश किया है और इसके लिये देश उनका ऋणी है।

आचार्य कृपालानी के कथन का आशय भी यही निकलता है कि हमारी वैदेशिक नीति तो सही है, पर अन्य देशों की मित्रता हमें नहीं मिल सकी है। इसका दोषी कौन है ?

इसका दोष तो हमारी उच्चादर्श पूर्ण परम्पराओं को ही दिया जा सकता है।

हमारी वैदेशिक नीति संविधान के निदेशक तत्वों के अनुकूल ही रही है। मिस्र पर आक्रमण होने के समय, क्या आचार्य कृपालानी का मत यह है कि हमें आक्रमण को ग़लत कह कर बस हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना चाहिये था ? लेकिन, आक्रमणकारियों के भय से चुप रह कर तो हम संसार के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकेंगे।

भारत सरकार ने गत २० नवम्बर को ही मिस्र के आक्रमणकारी इंगलैण्ड और फ्रांस की निन्दा की थी, लेकिन हंगरी की पूरी परिस्थिति से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त होने में बिलम्ब होने के

---

†मूल अंग्रेजी में

कारण ही प्रधान मंत्री को उसके सम्बध में वक्तव्य देने में विलम्ब करना पड़ा था। सुरक्षा परिषद् में हमें जो एक भी मत प्राप्त नहीं हो सका था, वह मत न देने वाले देशों की ग़लती थी। एक नैतिकतापूर्ण नीति के लिये हमें त्याग भी करना पड़ेगा।

कुछ देशों के रुष्ट होने के भय से हमें अपनी वैदेशिक नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। उचित बात कहने पर यदि कोई देश रुष्ट होता है, तो वह हमारी कोई ग़लती नहीं है।

हमारा आदर्श तो "सत्यमेव जयते नानृतं" है।

कुछ समय बाद, लोग हमारे विचारों को सही रूप में समझ लेंगे। हमने अपनी नीति के कारण ही, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। और कमज़ोर देश हमारे नेतृत्व की ओर देखने लगे हैं। हमें अपनी प्रतिष्ठा और बचनों के अनुसार ही चलना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि अन्य देशों के रुष्ट होने का—अमरीका और इंगलैण्ड के रुष्ट होने का—कारण यह है कि वे अपने हितों को भी देखते हैं। लेकिन, भारत का तो अपना कोई स्वार्थ, कोई हित नहीं है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और हम शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। यदि अन्य देश नैतिकता को धता बताते हैं, तो हमें उनकी निन्दा करनी ही पड़ेगी।

किसी ने भी पंडित नेहरू की वैदेशिक नीति को ग़लत नहीं बताया है, हां, लोगों ने उसके परिणामों की आलोचना की है। लेकिन गीता ने हमें यही सिखाया है कि परिणामों को नहीं, बल्कि कार्यों को ही देखना चाहिये।

मुझे कोई भी ऐसा अवसर नहीं दीखा है जब कि हमारी वैदेशिक नीति ग़लत हो।

कोरिया और मिस्र, और अन्य सभी देशों के मामले में हमने सही नीति ही अपनाई है। हम किसी भी मामले में प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते।

यह सही है कि हमने पाकिस्तान के प्रति नरमी बरती है। तीस लाख पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत में प्रविष्ट कर गये हैं। पाकिस्तान ने हमारे साथ की गई सभी संधियां तोड़ दी हैं। हमने इस पर भी अपनी नीति नरम ही रखी है। लेकिन, इस नरम नीति का फल क्या निकला है? फल यह है कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हुआ है।

पाकिस्तान की आपत्ति जनक कार्यवाहियों के बाद भी, हम उनसे यही कहते रहे हैं कि हम उनके मित्र हैं। हम काश्मीर को पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते। ब्रिटिश सरकार ने जो विभाजन किया था, उसमें भी काश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया गया था। बाद में, काश्मीर हमारे साथ सम्मिलित हो गया था। काश्मीर में पाकिस्तान को कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है।

इस सभा का एक भी सदस्य सरकार की काश्मीर नीति के विरोध में नहीं है। प्रत्येक दल उसका समर्थन करता है।

और, जब सभी दल सरकार की काश्मीर नीति को सही मानते हैं, तो फिर उस पर यह इतनी चर्चा करने से क्या लाभ है? कुछ सदस्य कहते हैं कि हमें जनमत संग्रह का बचन नहीं देना चाहिये था। मैं इसे नहीं मानता कि वह ग़लती थी। जो भी हो, लेकिन, प्रश्न यह है कि वर्तमान वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में तो सभी सहमत हैं।

अमरीका की मध्य पूर्वीय नीति की हमारी निन्दा से भी सभी सहमत हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

श्री उ० मू० त्रिवेदी का कथन है कि गोग्रा का विदेशी अधिकार समाप्त करने में घण्टा भर ही लगेगा। लेकिन, हमने संविधान में स्पष्ट रखा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। हिंसा की नीति से देश में विनाश ही होगा।

हिंसापूर्ण नीति ग़लत होगी। मैं जानता हूं कि श्री उ० मू० त्रिवेदी क्रोध में ही यह कह रहे हैं।

लेकिन सरकारी नीतियां तय करने में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये। हमारी वैदेशिक नीति सर्वथा उचित है। मुझे उसमें कोई भी ग़लती नहीं दिखती। सभा को उसका अनुमोदन करना चाहिये।

†**श्री जयपाल सिंह:** नेहरू सरकार की वैदेशिक नीति सराहनीय रही है।

वैदेशिक नीति सम्बन्धी हमारी चर्चा दलगत राजनीति से मुक्त रहनी चाहिये। लेकिन, इस अवसर पर मैं देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य दलगत भावना से उस पर आक्षेप कर रहे हैं। यह ग़लत बात है।

वैदेशिक नीति सम्बन्धी प्रत्येक वाद-विवाद समूचे देश से सम्बन्धित रहता है। प्रधान मंत्री और श्री कृष्णमेनन ने बड़े सराहनीय ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है। कुछ ग़लतियां तो सभी से होती हैं। लेकिन, हमें समूची नीति को देख कर ही कोई निर्णय करना चाहिये।

हमने अहिंसा पूर्ण नीति का कठिन मार्ग अपना कर उचित ही किया है। उससे शीघ्र ही कोई बड़े-बड़े परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिये।

कुछ सदस्य गण अपने आचरण पर पर्दा डालने के लिये श्री गांधी जी के उद्धरण देते हैं। वैदेशिक नीति के मामले में हमें उपदेशात्मक भाव नहीं रखना चाहिये, बल्कि यथार्थवादी होना चाहिये। हमारा वर्तमान संसार गांधी जी की इच्छानुसार बना हुआ संसार नहीं है। और, वर्तमान परिस्थिति में पंडित नेहरू की वैदेशिक नीति सर्वथा उचित रही है। उससे देश का हित हुआ।

मैं भी कभी-कभी उत्तेजित हो जाता हूं और मैंने भी कभी कभी गोग्रा और देश के पूर्वी सीमान्तों में थोड़ी सी हिंसा करके समस्या का हल करने को उचित कहा है। लेकिन, अधिक विचार करने पर धैर्य और अहिंसा का मार्ग ही मुझे सर्वोत्तम लगता है। गांधी जी ने हमें यही मार्ग बताया था। हमें शीघ्र ही बड़े-बड़े परिणामी की बात नहीं सोचनी चाहिये।

यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी अफ्रीका के स्वातंत्र्य आन्दोलनों ने भी गांधी जी की सीखों को अपना आधार बनाया है।

सरकार को वहां अपने प्रतिनिधियों का एक दल भेजना चाहिये, जिसमें संसद् की दोनों सभाओं के सदस्य हों। ऐसा दल घाना में ही नहीं, सायरा लिओने, नाइजीरिया और कांगों में भी जाना चाहिये। हमें वहां की परिस्थिति का स्वयं अध्ययन करना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि वहां केवल माननीय संसद् सदस्य ही जायें, या अन्य व्यक्ति भी? पिछले अवसरों पर हमारे कुछ व्यक्ति वहां गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह :** इसका निर्णय स्वयं प्रधान मंत्री ही कर सकते हैं।

मेरे कथन का तात्पर्य यही था कि भविष्य में घाना और गोल्डकोस्ट ही अफ़्रीका के स्वातंत्र्य संग्राम में अग्रणी बनेंगे, और हमने उनका नेतृत्व करके बहुत अच्छा किया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में पहले कई बार अस्पृश्यता के प्रश्न पर हमारे विचारों के सम्बन्ध में ग़लत ढंग से प्रचार हुआ था, और पश्चिम अफ्रीका में हमारे मैत्रीपूर्ण दल के जाने से वहां के लोगों को हमारे विचार समझने में सरलता हो जायेगी। मुझे आशा है कि घाना के प्रधान मंत्री भी कभी हमारे देश में पधारेंगे।

मैं काश्मीर की समस्या से भी अधिक महत्व चटगांव के पर्वतीय प्रदेशों की समस्या को देता हूं। मैंने दस वर्ष पहले भी कहा था कि यह प्रदेश हमें नहीं छोड़ने चाहिये थे। इनमें ९९ प्रतिशत गैर-मुस्लिम बसते हैं, जो अधिकतर बौद्ध हैं। इन प्रदेशों को पाकिस्तान को नहीं सौंपना चाहिये था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम भी नहीं समझते।

†**श्री जयपाल सिंह :** लेकिन उस समय मुझे बताया गया था कि इस समस्या को वार्ता द्वारा तय किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमने उसके सम्बन्ध में क्या वार्ता चलाई है ?

गारो पर्वतों में स्थित मैमनसिंह के उत्तरी भाग में बसने वाली आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी क्या किया गया है ? वे भी मुस्लिम नहीं हैं। उन्हें भी किस आधार पर पास्कितान को सौंप दिया गया है ? यह भी एक गम्भीर बात है।

हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई और बातों के सम्बन्ध में भी अभी निर्णय करना शेष है। हमें अन्य समस्याओं के कारण, इन गम्भीर प्रश्नों को भूल नहीं जाना चाहिये। इन बातों का भी हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हमने इनके सम्बन्ध में क्या किया है ?

मुझे यह सुनकर हर्ष हुआ है कि सभा के नेता कुछ महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में विरोधी दल के सदस्यों से परामर्श करने जा रहे हैं। वे सभी इनकी समस्याओं पर पुनर्विचार करेंगे। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि वैदेशिक नीति दलगत राजनीति से मुक्त रखना चाहिये। उसके सम्बन्ध में सबका एक संयुक्त मत होना चाहिये। सब को एक स्वर से बोलना चाहिये। विरोधी दल को वैदेशिक नीति के प्रति अधिक गम्भीरता से काम करना चाहिये।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में सराहनीय ढंग से कार्य किया है।

श्री श्रीमन्नारायण (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन बाद लोक-सभा का यह अधिवेशन समाप्त होगा और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे वैदेशिक मामलों पर चल रही चर्चा में बोलने का अवसर मिला।

पिछले दो महीनों में काश्मीर को लेकर सिक्योरिटी कौंसिल (सुरक्षा परिषद्) में जो चर्चा हुई और जिस तरह से विदेशी पत्रों में हमारी सारी विदेश नीति और जिस तरह से हम काम आज तक करते आये, इसकी आलोचना हुई, उसको पढ़कर बहुत दुःख हुआ। यह कहा गया कि जब हम दूसरे देशों के बारे में बात करते हैं, तो ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन जब काश्मीर का सवाल आया तो हमारा नैतिक पतन हुआ है और अखबारों में हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में कारटूंस (व्यंगचित्र) निकाले गये, चर्चायें की गई और तरह तरह की निन्दा की गई। आश्चर्य होता है कि नौ दस साल पहले जब काश्मीर पर हमला हुआ तो हम यह समझ कर कि लड़ाई लड़ना ठीक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीमन्नारायण]

नहीं अगर कोई दूसरा गलती करता है तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय संघ में जाना चाहिये, हम वहां गये। आज नौ दस साल के बाद अचानक फिर यह सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि हिन्दुस्तान ने काश्मीर को ज़बर्दस्ती अपने कब्जे में ले लिया और एक ऐसा काम किया जो नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं था। हमारी गलती अगर कोई हुई तो इतनी ही हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय संघ के जो सिद्धान्त थे और जो उसकी नीति थी उसमें हमने विश्वास रखा और यह खयाल किया कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे हिन्दी में कहावत है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे"। ग़लती तो कोई करे और सज़ा देने की कोशिश किसी और को की जाये।

एक और हम को बहुत ताज्जुब हुआ जब कि सिक्युरिटी कौंसिल में यह प्रस्ताव रक्खा गया कि काश्मीर के मामले को सुलझाने के लिये और वहां के लोगों की राय ठीक तौर से ली जाये, इसकी व्यवस्था करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फ़ौज भेजी जायें। इसका जवाब हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत साफ दे दिया यद्यपि हम चुनावों में फंसे थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो विदेशी फौज़ आती हैं या जो बाहर के लोग इस देश में आये, पहले भी आये तो थे ईस्ट इंडिया कम्पनी का व्यापार करने के लिये फ़्रांस के लोग और इंग्लैंड के लोग, लेकिन जिस तरीके से यहां फ़ौज क़ायम की गई, जिस तरीक़े से फौजों द्वारा कभी एक राजा को और कभी दूसरे राजा को मदद दी गई और सारे देश को बर्बाद किया गया, वह इतिहास हमारे सामने ताज़ा है और उसका जवाब यह दिया गया कि कुछ भी हो लेकिन इस देश में विदेशी फौजें पैर नहीं रख सकेंगी क्योंकि नौ साल तक तो यह मामला इस तरीक़े से लटकाया गया और बढ़ाया गया जबकि दूसरे की गलती थी, एक बार विदेशी फ़ौजें आ जायें तो वह फिर कब हटेंगी, कोई कह नहीं सकता है और आज सारी दुनिया में जिस तरीके से पावर ब्लाक्स (शक्तियों के आधार पर बने हुये दलों) का खेल खेला जा रहा है उसमें हम साफ़ कहना चाहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है कि जो शान्ति के लिये फ़ौजें आयेंगी वह यहां शान्ति के लिये रहेंगी या यहां अपने हाथ पैर फैलायेंगी और झगड़े पैदा करेंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो काश्मीर के मामले को फिर उठा कर जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था फिर टू नेशंस थ्योरी (दो राष्ट्रों का सिद्धांत) या डिवाइड एंड रूल (विभाजन करके राज्य करने) की बात शुरू की गई और हमसे कहा गया कि हिन्दुस्तान ने हैदराबाद भी ले लिया, काश्मीर भी ले लिया। जहां तक टू नेशंस थ्योरी की बात है हिन्दुस्तान ने कभी भी इस टू नेशंस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया था। यह एक परिस्थिति थी, हालात ऐसे हुये कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ, सही हुआ या ग़लत हुआ, आज चर्चा करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि हमने कभी भी टू नेशंस थ्योरी को नहीं माना और जो हमने अपना विधान बनाया है उसमें साफ कहा है कि हिन्दुस्तान एक सैकुलर स्टेट (धर्म निरपेक्ष राज्य) है, एक ऐसा राज्य है जिसमें सब मजहब के लोगों का बराबर का दर्जा है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिन्दुस्तान में हैदराबाद भी शामिल हुआ और काश्मीर भी शामिल हुआ और उसमें हिन्दू और मुसलमान का सवाल आज उठाना देश में फिर एक झगड़ा पैदा करना होगा। यह देख कर अफ़सोस होता है जब कि फिर अंग्रेज़ सरकार का उसमें हाथ हो, अमरीका का हो और और देशों का हो। तो यह अच्छा है कि हम साफ कह दें और यह संतोष की बात है कि तमाम दूसरे पक्ष भी इस बात को साफ कह रहे हैं और इस मामले में हमारे बीच में दो रायें नहीं हैं और काश्मीर का मामला लेकर एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलवाड़ खेला जाये, तो इसको हम कदापि सहन नहीं करेंगे;

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक और ताज्जुब होता है जबकि पाकिस्तान के नेता लोकशाही की बात करते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान वहां राय नहीं लेता। जहां तक राय लेने का सवाल है, पहले भी यह बात कही गई थी कि जिसकी पहले ग़लती हो वह अपनी ग़लती सुधारे, पहले पाकिस्तान की फौजें वहां से हटें, जो गलती थी उसके लिये माफ़ी मांगी जाये और उसके बाद हम चर्चा करें क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि किसी की राय के खिलाफ़ कोई बात हो। जहां तक काश्मीर के लोगों की राय लेने की बात है, राय तो ली गई थी, वहां की कांस्टीटुएंट असेम्बली (संविधान सभा) ने राय दी और उसके बाद अब वहां पर नये चुनाव हो रहे हैं और अब दुबारा काश्मीर के लोगों की राय का पता लग जायेगा। लेकिन पास्कितान जब लोकशाही की बात करता है तो हंसी आती है, जहां आज तक वहीं पुराना १९३५ का कांस्टीट्यूशन (संविधान) चल रहा है, नया विधान लागू नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुये और यह मालूम नहीं कि कब तक चुनाव होंगे, वह पाकिस्तान लोकशाही की बात करे, यह एक आश्चर्य की बात है।

एक और बात जो बार बार छेड़ी जाती है और वह है हिन्दुस्तान का कामनवेल्थ (राष्ट्र-मंडल) का मेम्बर होना। हिन्दुस्तान ने कामनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की इस ख़याल से कि दुनिया में शान्ति स्थापित करने के लिये कुछ आसानी हो। हम इसलिये शामिल नहीं हुये थे कि हमारी आज़ादी में कमी रह जाये। अंग्रेज़ों का जो डेढ़ सौ वर्ष का सिलसिला था वह तो टूट गया है और हम पूरी तरह से आज़ाद हुये लेकिन हमने सोचा था कि कामनवेल्थ में रहने से काफ़ी देशों से हमारे सम्बन्ध रहेंगे और दुनिया में शान्ति क़ायम रखने के लिये कुछ मददगार होंगे और मैं समझता हूं कि पिछले नौ, दस वर्ष में जो कुछ हमने किया, जो हमारी विदेशी नीति थी उसमें कामनवेल्थ का सदस्य रहने से कोई हमको दिक्कत नहीं हुई बल्कि हम यह साफ़ तौर पर देखते हैं कि आज हिन्दुस्तान की राय का असर विदेशों पर पड़ता है, जो कामनवेल्थ के देश हैं उन पर पड़ता है, इंग्लैण्ड पर पड़ता है और कुछ हद तक हमको सफलता मिली कि हम दुनिया में शान्ति क़ायम रखवाने की व्यवस्था करें। लेकिन यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि इन बातों में एक तरफ़ा काम नहीं हो सकता, यह वन वे ट्रैफ़िक (एकतरफ़ा मार्ग) नहीं हो सकती। पिछले कुछ महीनों से इंग्लैण्ड का जो रवैय्या रहा है और जिस तरीक़े से हमारी नीति पर, हमारी सरकार पर और प्रधान मंत्री जी पर बौछार की जाती है, नुक्ताचीनी की जाती है, जिस तरीक़े से कोशिश की जाती है काश्मीर को लेकर कि फिर हमारी आज़ादी में कुछ खलल डाली जाय, यहां फिर झगड़े खड़े किये जायें हिन्दु मुसलमानों के, तो यह रवैय्या ठीक नहीं है। यह एक नाज़ुक रिश्ता है कामनवेल्थ का, हमने पूरी तौर से आज़ाद होते हुये भी उसके साथ एक सम्बन्ध रक्खा है और मैं आशा रखता हूं कि जो इंग्लैंड के नेता हैं वे यह समझेंगे कि यह रिश्ता तभी निभ सकता है जब दोनों तरफ से सद्भावना हो। सिर्फ एक तरफ से हम सद्भावना दिखायें और दूसरी तरफ से बिलकुल एक गलत प्रचार दिन रात हमारे नेताओं के खिलाफ किया जाय, यह उचित नहीं है और मैं उम्मीद रखता हूं कि उनका रवैय्या बदलेगा। हमारे कामनवेल्थ का मेम्बर रहने का केवल एक ही उद्देश्य है जैसे मैंने कहा कि दुनिया में शान्ति हो। आज जो हालत है दुनिया की वह कुछ अच्छी हालत नहीं है। आज तो हम यह देखते हैं कि दिन रात लड़ाई को तैयारियों की कोशिश हो रही है। दोनों ब्लाक्स अच्छा बनना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक ब्लाक दूसरे ब्लाक के खिलाफ मिलेटरी पैक्ट्स (सैनिक संधियां) करता जाता है और इस तरह सारी तैयारी चलती जाती है। हम नहीं चाहते कि दुनिया में लड़ाई हो क्योंकि लड़ाई से कोई समस्या हल नहीं होती और अगर दुर्भाग्यवश लड़ाई हुई तो सब की बर्बादी होगी। हमने इस खयाल से कि दुनिया में लड़ाई न हो, अपनी नीति क़ायम रक्खी और हमेशा यह कहा कि हम पावर पालिटिक्स (शक्ति की राजनीति) और ग्रुपबाज़ी में नहीं पड़ेंगे। हमारे कई अपोज़ीशन

[श्री श्रीमन्नारायण]

साइड (विरोधी दल) के नेताओं ने कहा कि आपका तो कोई मित्र नहीं है लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि आज की इस पावर पालिटिक्स में मित्रता गुलामी है। अगर एक भी पावर के साथ हम चले जाते हैं तो क्या हमारी आज़ादी बनी रहेगी? क्या पाकिस्तान की हम हालत नहीं जानते, क्या हम और देशों की हालत नहीं जानते कि वहां पर क्या हो रहा है? यह ठीक है कि नाम के लिये वे आज़ाद हैं लेकिन हर एक चीज़ फंस जाती है उस पावर पालिटिक्स म और हमारी जो सियासी आज़ादी है, वह एक नाम की आज़ादी रह जाती है। तो आज मित्रता का मतलब क्या है? क्या अगर हम अमरीका, इंग्लैंड के ब्लाक में या रूस के ब्लाक में चले जांय तो वह क्या उनकी मित्रता लेना होगा? आज तो पावर ब्लाक्स एक ही भाषा समझते हैं कि अगर आप उनके साथ हैं पूरी तरह तो आप के मित्र हैं, अगर आप उन के साथ नहीं हैं तो आप उनके दुश्मन हैं। इस तरह की मित्रता हमें नहीं चाहिये, और यह हमारे लिये बहुत बड़े खतरे की बात होगी कि हम कभी भूल कर भी कोशिश करें कि किसी एक पावर ब्लाक से दोस्ती हो जाये। यह बहुत बड़ा ख़तरा है। सब मिलिटरी पेक्ट्स जो होते हैं वह एक तरह से गुलामी की जंजीर कसते जाते हैं देशों के चारों तरफ, और हम भले यह समझ कर बैठें कि हमें सहायता हो रही है, हमें मदद मिल रही है इस या उस ब्लाक से, लेकिन वह आजादी कम करने का एक क्रम होगा। इसलिये आज यह जरूरी है कि हम विदेश नीति पर पक्के रहें और हम पूरे इत्मीनान के साथ कह सकते हैं कि हालांकि इस तरह के मित्र आज हमारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी देश से, और यह सफलता हमारी नीति की है क्योंकि अगर लड़ाई हुई, हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन अगर हुई तो जो देश आज इस ग्रुप बाजी में फंसे हैं उनकी बरबादी ही बरबादी है, चाहे वह पाकिस्तान हो या और कोई हमारा एशियाई देश हो। अगर इस तस्वीर को हमारे लोग साफ न देखें और किसी भुलावे में आ जायें, किसी परेशानी में पड़ जायें, तो यह ख़तरा इतना बड़ा होगा, जो सदियों तक हमें उठाना होगा।

हमारी जो विदेश नीति है, वह कोई निगेटिव चीज नहीं है, नकारात्मक चीज नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि हम न इस से दोस्ती करते हैं, न उस से दोस्ती करते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि हम निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन जो हमारी विदेश नीति है वह कुछ मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित है, और वह सिद्धांत, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने हमेशा कहा है, पंचशील के ऊपर निर्भर हैं। जहां तक विदेशों का सवाल है, पंचशील के वह पांच सिद्धांत आप जानते हैं : हम एक दूसरे पर आक्रमण न करें, एक दूसरे की मदद करें, हमारा भाई चारा हो, इत्यादि। यह नीति कोई आज की नई नीति नहीं है। यहां सदियों से वह हिन्दुस्तान में चली है। अशोक ने, या उस के पहले भी जो राजा हुये, उन्होंने यह कोशिश की थी। यद्यपि बाहर के देशों ने हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया, लेकिन हमारी नीति रही है कि हम खुद सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी करें। **लिव ऐंड लेट लिव** (जियो, और जीने दो)। उस को चाहे आप अहिंसा कहें या पंचशील कहें, लेकिन उस नीति पर हम कायम रहे और खास तौर से आजाद होने के बाद हम ने उस नीति को हमेशा अपनाया। कुछ सन्तोष होता है कि विदेशों के प्रधान मंत्री यहां आते हैं और हमारी सरकार से बात चीत कर के वह भी यह घोषित करते हैं कि हम भी पंचशील स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और आज दुनियां में पंचशील के जो सिद्धान्त हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय नीति की एक बुनियाद बन गये हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर पंचशील को दुनिया में सफल देखना है तो पहले हमें अपने हिन्दुस्तान में खुद भी पंचशील को कायम करना होगा।

अगर हम विदेशों में पंचशील की बात करें और अपने देश में हिंसा का वातावरण बनायें और एक दूसरे के विरुद्ध नफ़रत फैलायें तथा एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ, या एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ करें तब फिर हिन्दुस्तान विदेशों में पंचशील सिद्धान्तों का प्रचार नहीं कर सकेगा। हमें दुःख होता है कि जब हम देखते हैं कि अपने देश में ही हिंसा का वातावरण फैलता जाता है,जब हम देखते हैं कि भाषा के नाम पर या धर्म और जाति के नाम पर कई पार्टियां कोशिश करती हैं कि झगड़ा हो। ऐसी हालत में पंचशील की बात करना बेकार हो जाता है क्योंकि जो हम पहले खुद अपने घर में नहीं कर सकते उस की चर्चा बाहर करना बेकार है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि आज की हालत नाजुक है, अन्तर्राष्ट्रीय हालत, और अगर हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि अपने देश में हम एक बात निनिचत करें कि चाहे कुछ भी हो, हम हिंसा नहीं करेंगे। तभी हमारी आवाज बुलन्द होगी और हमारी आवाज का असर दूसरे देशों पर पड़ेगा, नहीं तो उस का असर कम होगा। विदेशों में हमारी शक्ति घटेगी और खुद हमारे अन्दर की शक्ति भी घट जायेगी।

एक और बात है पंचशील के लिये कि देश मैं आर्थिक और सामाजिक समता जब हम न लायें, जब तक गरीब अमीर का जो फर्क है उस को हम तेजी से दूर न करें, तब तक हिंसा का वातावरण भी हम दूर नहीं कर सकेंगे क्योंकि अहिंसा सिर्फ एक कोरा सिद्धांत नहीं है। उस को पूरा करने के लिये जरूरी है कि हम कुछ काम करें, हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बदले। यह में इसलिये कह रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्यायें मिली जुली हैं। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा करें तो राष्ट्र की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें हम भूल जायें, अगर हम तेजी से अपने देश में आर्थिक सुधार न कर सके, तो पंचशील विदेशों में भी कायम नहीं रह सकेगा और जो हमारी आवाज है वह आवाज धीमी पड़ेगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, या सरकार की ओर से जो काम होते हैं वे और तेजी से होंगे और खास तौर से जो सब से पिछड़े लोग हैं, गांधी जी **अनटु दिस लास्ट** कहा करते थे, वह जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जहां एक गड्ढा है, जब तक उस को हम नहीं भरेंगे, तब तक हिंसा और अहिंसा, पंचशील और लड़ाई की बातें कोरी सिद्धांत की बातें रह जायेंगी, उन का कोई असर नहीं होगा।

एक आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। गांधी जी कहा करते थे कि हमारा स्वतंत्र देश एक बड़े मकान की तरह है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे खुले हों और चारों तरफ से साफ हवा आये। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाये कि इन खिड़कियों और दरवाजों से इतनी जोर की हवा आये कि उस की छत उड़ जाये और नींव ढह जाये। यही हमारी विदेश नीति का बुनियादी सिद्धांत रहा है। हम ने किसी देश से नफरत नहीं की। हर एक से बातचीत करने की कोशिश की, हर एक से दोस्ती करने की कोशिश की, हमने चाहा कि दूसरे देशों से शिक्षा लें, अगर कोई गलती हो तो हम उसे सुधारें, लेकिन यह हम कभी नहीं सहन करेंगे कि उन के तूफान हमारी खिड़कियों और दरवाजों में घुस कर हमारे सारे मकान को ही गिरा दें यह नीति, जो हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे सामने रक्खी थी, उस को हम हमेशा याद रक्खें और यह कोशिश करें कि हम अपने देश में एक ऐसी नीति चलायें जो कि हमारे लिये भी फायदे की हो और दुनियां के लिये भी फायदे की हो। हमारी बुनियाद सुरक्षित रह सके और अपनी बुनियाद पर हम इस देश में और दुनियां में एक ऐसा नक्शा बनायें जिस से कि सारे मनुष्यमात्र का कल्याण हो।

[श्री श्रीमन्नारायण]

मैं आशा करता हूं कि अगले वर्षों में, खास तौर से इस १९५७ के साल में, क्योंकि यह ५७ का साल एक अजीब साल आता है, १९५७ जब आया तभी लोगों ने खयाल किया कि इस साल में जरूर कुछ न कुछ विघ्न पड़ेगा, सन् १७५७ में हम परेशान हुये थे जबकि प्लासी की लड़ाई हुई फिर सन् १८५७ में यह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, जिस को गदर कहते हैं, उस वक्त भी हम में कमजोरी थी, और अपनी कमजोरी की वजह से हम असफल हुये । अब यह १९५७ आया है और इस शताब्दी को हम मना रहे हैं । सारे देश में १८५७ की शताब्दी मनाई जायेगी, लेकिन इस शताब्दी के मनाने के सिलसिले में हम भूल न जायें कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एकता की कमी रही है । जब कभी हम छोटी मोटी बातों में पड़ गये हैं, जाति की या धर्म की या भाषा की अलग अलग प्रान्तों की, तो हमारी बरबादी हुई है । हमारे सामने जो खतरा आये इस साल में, हमारे अपने देश में या शायद दुनिया में कोई तूफान आये, तो उस का मुकाबला हमें एकता से करना है, जितने भेद भाव हों, उन को भूल कर करना है । मैं आशा रखता हूं कि हमारे महान नेता के मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ता जायेगा और हमारी सफलता हमारी आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बराबर होती जायेगी ।

†**पंडित फोतेदार** (जम्मू तथा काश्मीर) : आचार्य कृपालानी के भाषण के ही सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं श्री कृष्ण मेनन को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने सुरक्षा परिषद् में बड़े ही सराहनीय ढंग से काश्मीर के पूरे मामले को प्रस्तुत किया है । मैं काश्मीर की जनता की ओर से कहता हूं कि हम भारत सरकार की काश्मीर सम्बन्धी नीति का हार्दिक समर्थन करते हैं । काश्मीर के सम्बन्ध में दो आधारभूत बातों को स्वीकार किये बिना कोई भी वार्ता नहीं की जा सकती । पहली तो यह कि पाकिस्तान ने १९४७ में काश्मीर पर आक्रमण किया था, और दूसरी यह कि काश्मीर १९४७ से ही भारत का ही अंग है, और सदा बना रहेगा । मैं ही नहीं, काश्मीर की समस्त जनता यही कहती है । काश्मीरी जनता ने पूरी तौर पर भारत सरकार और श्री कृष्ण मेनन के सुरक्षा परिषद् में दिये गये वक्तव्य का समर्थन किया है ।

आचार्य कृपालानी ने जो कुछ भी कहा है, उससे तो यही लगता है कि वे संविधान की उन व्यवस्थाओं से पूर्णतया अपरिचित हैं जिनके अन्तर्गत कुछ मामलों में काश्मीर को एक विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की गई है । ऐसे निरुपण हमारे उद्देश्य के ही प्रतिकूल पड़ते हैं ।

सुरक्षा परिषद् में कुछ देश कहते हैं कि भारत अन्य देशों के मामलों में तो अहिंसा और शांति की नीति का उपदेश देता है, लेकिन वह काश्मीर की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं देता ।

सीयटो, बगदाद पैक्ट और मंत्रियों के सम्मेलनों में काश्मीर की समस्या का परोक्ष रूप से उल्लेख किया जाता है, और उन उल्लेखों से पता चलता है कि अमरीका और इंगलैण्ड आदि काश्मीर के सम्बन्ध में किस प्रकार का निर्णय करेंगे । उनसे पता चलता है कि हमें उनसे निष्पक्षता की आशा नहीं करनी चाहिये । वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक नैतिकता के प्रति अपराध कर रहे हैं । इससे काश्मीरी जनता के आत्म-सम्मान और उनकी भावनाओं को ठेस लगती है । उन्होंने सदा ही संसार के सामने घोषणा की है कि काश्मीर भारत का ही अंग है । यह तो प्रत्येक कहता है कि काश्मीरी जनता को ही अपने भविष्य का निर्णय करना चाहिये, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों

---

† मूल अंग्रजी में

का वास्तविक अर्थ यह नहीं होता। काश्मीरी जनता ने तो अपना भविश्य निश्चित ही कर लिया है, फिर यह सब विवाद क्यों उठाये जाते हैं ? काश्मीर की संविधान सभा ने तो इसका निर्णय कर ही दिया है ।

और, दूसरी ओर पाकिस्तान की वैधानिक रूप से गठित संविधान सभा को भंग करके उसके स्थान पर एक मनमानी संविधान सभा बैठा दी गई है। फिर, पाकिस्तान किस मुंह से कह सकता है कि उसे काश्मीर की वैधानिक रूप से गठित संविधान सभा का निर्णय मान्य नहीं है ? आश्चर्य तो इस बात का है कि सुरक्षा परिषद् के कुछ देश भी पाकिस्तान की इस घृष्टता को स्वीकार कर कर लेते हैं ।

यदि सूडान की संसद् को अपनी स्वतंत्रता के सम्बन्ध में घोषणा करने का अधिकार है, तो काश्मीर की संविधान को क्यों नहीं है ?

पाकिस्तान के सभी वैदेशिककार्य मंत्री कहते रहे हैं कि वे काश्मीरी जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार दिलाना चाहते हैं। काश्मीर पर आक्रमण करके उन्होंने इस बात का बड़ा ही अच्छा प्रमाण दे दिया है। काश्मीरी माताओं और बेटियों को रावलपिंडी के बाजारों में बेचा गया है। हमारे घरों में आग लगाई गई है। पास्कितान का ऐसा आत्म-निर्णय हमें नहीं चाहिये। काश्मीर की जनता ने साहस के साथ पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया है। भारतीय सेना के पहुंचने से पहले ही, काश्मीर के महाराजा के भाग खड़े होने पर भी, नेंशनल कान्फ्रेंस ने सभी जनता को एक करके आक्रमणकारियों का सामना किया था। और मैं कहता हूं कि काश्मीर जनता फिर अपने निर्णय की रक्षा करने के लिये उसी प्रकार से कटिबद्ध है। यदि कोई हमारे निर्णयों को बदलने का प्रयास करेगा, तो उससे भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि समूचे संसार के लिये बड़े भयंकर परिणाम निकलेंगे। कोई भी काश्मीर में आकर देख सकता है कि हमारे यहां कोई भी अव्यवस्था नहीं है। लार्ड एटली ने काश्मीर के अपने दौरे के बाद इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि काश्मीरी जनता विकास-कार्यों में जुटी हुई है, उसने काफ़ी सामाजिक प्रगति करली है और वहां कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। और साथ ही यह भी कि काश्मीर में एक पूर्णतः लोकतांत्रिक काश्मीरी सरकार है और काश्मीर ने स्वयं ही भारत का अंग बनना स्वीकार कर लिया है।

मैं, इस सभा के मंच से, समस्त संसार को बताना चाहता हूं कि १९४४ में ही एक बार जब जिन्ना साहब काश्मीर में जाकर एक सभा में काश्मीरी मुस्लिमों की साम्प्रदायिकता को उभारने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उन पर पत्थर फेंके गये थे। वे बड़ी कठिनाई से बच कर निकल भागे थे। इससे स्पष्ट है कि काश्मीरी मुस्लिम भी साम्प्रदायिकता के शिकार होने के लिये तैयार नहीं हैं। उनमें धार्मिक अंधविश्वास नहीं है ।

अब काश्मीर के सम्बन्ध में केवल एक ही समस्या रह गई है कि पाकिस्तानियों के बलात् अधिकार में पड़ने वाले काश्मीर के भाग को स्वतंत्र किया जाये। संसद् को इसके लिये उचित साधन निकालने चाहिये। काश्मीर सदा ही भारत का अंग रहेगा। काश्मीरी जनता इसके लिये कटिबद्ध है।

मैं सरकार की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि प्रत्येक सत्र में वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में वाद विवाद किया जाये ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

विरोधी दल के सदस्य भी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बार-बार वाद-विवाद करने के लिये इतने उत्सुक नहीं हैं। इस पर इस प्रकार सार्वजनिक रूप से विचार करना ठीक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा का प्रत्येक सदस्य सरकार की वैदेशिक नीति से सन्तुष्ट है।

सभा में कई बार कहा गया है कि हमें राष्ट्रमंडल से नाता तोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूं कि राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध बनाये रखना ही अच्छा है। भारत सरकार को केवल कुछ लोगों के राजनैतिक असंतोष को ही नहीं देखना चाहिये। राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ निकट का सम्पर्क रखने में हमें कई लाभ होते हैं।

आचार्य कृपालानी और कुछ अन्य सदस्यों ने श्री कृष्ण मेनन की आलोचना की है। लेकिन, मैं कहता हूं कि किसी भी अन्य व्यक्ति से हम इतनी भी आशा नहीं कर सकते थे। उन्होंने बड़े ही सराहनीय ढंग से सुरक्षा परिषद् के सामने हमारे पूरे दृष्टिकोण और नीति को रखा था। उन के प्रति संदेह प्रकट करना उचित नहीं ह।

काश्मीर का प्रश्न ही अब इस समय सब से अधिक विवादग्रस्त प्रश्न बन गया है। सरकार इसके सम्बन्ध में इतनी अधिक शीघ्रता से निर्णय नहीं कर सकी थी। ऐसी चीजों में समय लगना तो स्वाभाविक ही है। पाकिस्तानी नेता भारत की जनता में अपने विश्वासी लोगों का एक पांचवां दस्ता तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे हमारी जनता के एक भाग को संरक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार को इस के सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये और पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोगों को भारतीय नीति से सहमत करना चाहिये।

इस सभा में पहले कई बार डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में कहा जा चुका है कि १९५२–५३ के समय की हमारी काश्मीर संबंधी नीति कुछ अधिक नरम थी और हमें कुछ कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिये था। बस बात बिल्कुल ही सत्य सिद्ध हुई है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को इस के संबंध में कुछ दृढ़ता से और कड़ाई से काम लेना चाहिये।

हमारी पंचशील को नीति को सभी देश नहीं समझते, केवल चीन और रूस जैसे ही कुछ देशों ने उस की सराहना की है। अन्य देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। हमारे प्रधान मंत्री चाहते हैं कि इसे सभी देश स्वीकार कर लें। हमें अधिक सावधानी से चलना चाहिये। हमें अपने भाषणों में संयम से काम लेना चाहिये। फिर भी, मैं प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति की सराहना करता हूं। अगले सत्रों म हमें इस पर इतनी अधिक चर्चा सभा में नहीं करनी चाहिये, हमें इस की पूरी-पूरी चर्चा वैदेशिक कार्य समिति की बैठकों में करनी चाहिये।

मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सुरक्षा परिषद् में नौ वर्षों के बाद जनमत संग्रह का प्रश्न फिर से उठाने का कोई अर्थ हीं नहीं होता। जहां तक जनमत का संबंध है, काश्मीरी जनता ने अपना निर्णय कर लिया है। और जब तक कि आप पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को काश्मीर से बाहर नहीं करते, तब तक जनमत संग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार को अब जनमत संग्रह संबंधी अपना नौ वर्ष पुराना वक्तव्य वापस ले लेना चाहिये। सुरक्षा परिषद् ने

---

†मूल अंग्रेजी में।

आक्रमण सम्बन्धी हमारी शिकायत की ओर ध्यान नहीं दिया है। उल्टे, भारत के विरुद्ध एक संकल्प लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि श्री कृष्णा मेनन ने सुरक्षा परिषद् में यह बिल्कुल उचित ही कहा है कि नौ वर्षों पूर्व दिये गये हमारे वचनों को मानने के लिये हम अब बाध्य नहीं हैं। हमें सुरक्षा परिषद् से अपना मामला वापस ले लेना चाहिये और यदि सम्भव हो तो पाकिस्तान से परस्पर वार्ता करके ही उस का निबटारा कर लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना उत्तर कल देंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, २६ मार्च, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार २५ मार्च, १९५७]

पृष्ट

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२५–२६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये ।

(१) गन्दी बस्तियों (सुधार और हटाया जाना) अधिनियम, १९५६ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन ६ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० ८–७।५७—एल० एस० जी में प्रकाशित गन्दी बस्तियों (सुधार और हटाया जाना) नियम, १९५७ की एक प्रति

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन विनियोग लेखे (असैनिक) १९५३–५४ (जिनमें वाणिज्यिक लेखे के प्रपत्र भी सम्मिलित है) और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९५५—भाग २ की एक प्रति

(३) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति:—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २, चौदहवां सेशन, १९५६
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ९, तेरहवां सेशन, १९५६
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १५, बारहवां सेशन, १९५६
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १७, ग्यारहवां सेशन, १९५५
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २०, दसवां सेशन, १९५६
(छ) अनुपूरक विवरण संख्या २६, नवां सेशन, १९५५ ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(५) भारतीय प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) विनियम, १९५६ की एक प्रति ।

(६) विदेशी व्यक्ति पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अधीन छूट की पन्द्रह घोषणाओं की एक-एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थित किये गये . . . २२७

इक्यावनव, छप्पनवे और सत्तावनवें प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

पृष्ठ

एक सदस्य द्वारा पद त्याग . . २२७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि श्री अ० व० थामस ने २० मार्च, १९५७ से लोक-सभा के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है

केरल आय-व्ययक, १९५७–५८. . . . . २२७–२८

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने १९५७-५८ के लिये केरल राज्य के अनुमित आय-व्यय का एक विवरण पेश किया

राष्ट्रपति का सन्देश २२९

अध्यक्ष ने लोक-सभा को राष्ट्रपति के इस संदेश के बारे में बताया कि १८ मार्च, १९५७ को दिये गये उनके अभिभाषण के लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद पर उन्होंने महान संतोष व्यक्त किया है

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २२९–६१

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई

मंगलवार, २६ मार्च, १९५७ के लिए कार्यवलि––

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा; लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा तथा रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा